

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 505

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है

## विद्युत की मांग

\* 505. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

श्री सतपाल महाराज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान देश में विद्युत की अनुमानित कितनी खपत है और गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में विद्युत की खपत में कितनी वृद्धि अथवा कमी दर्ज की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई ताप विद्युत परियोजनाओं का राज्य और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान विभिन्न स्रोतों से स्रोत-वार विद्युत का कितनी मात्रा में उत्पादन किए जाने की संभावना है; और

(घ) देश में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा बनाई गई विद्युत नीति का ब्यौरा क्या है?

## उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

विद्युत की मांग के संबंध में लोकसभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 505 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

\*\*\*\*\*

(क): 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष की अनुमानित विद्युत खपत नीचे दी गई है:-

क्र०सं०	वर्ष	बिजली की खपत (बीयू)
1.	2012-13	764
2.	2013-14	836
3.	2014-15	915
4.	2015-16	1001
5.	2016-17	1099

तीन वर्षों अर्थात् 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों में बिजली खपत की वृद्धि के उपलब्ध ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र०सं०	वर्ष	वाणिज्यिक(%)	औद्योगिक(%)
1.	2008-09	14.69	3.44
2.	2009-10	10.14	6.78
3.	2010-11	8.38	7.56

(ख) योजना आयोग के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना में, अखिल भारतीय आधार पर, परंपरागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता वृद्धि नियोजित है। इसमें से ताप विद्युत संयंत्रों से 72,339.6 मेगावाट क्षमता शामिल है। इसमें केंद्रीय क्षेत्र में 14,877.6 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 13,922 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 43,540 मेगावाट की तापीय क्षमता अभिवृद्धि शामिल हैं। प्रस्तावित तापीय क्षमता वृद्धि के राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) परंपरागत स्रोतों से संभावित उत्पादित होने वाली विद्युत की मात्रा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित की जाती है, न कि संपूर्ण योजना के लिए क्योंकि वास्तविक विद्युत उत्पादन, उत्पादक इकाइयों का समयबद्ध रखरखाव, ईंधन की उपलब्धता, नई क्षमता वृद्धि, राज्यों द्वारा की गई मांग और हाइड्रो स्टेशनों के मामले में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तदनुसार, वर्ष 2012-13 के लिए स्रोत-वार विद्युत उत्पादन उपलब्धि और वर्ष 2013-14 के लिए उत्पादन लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

स्रोत	2012-13 # वास्तविक उत्पादन(बीयू)	2013-14 उत्पादन लक्ष्य(बीयू)
तापीय	760.366	812.737
न्यूक्लियर	32.871	35.2
हाइड्रो	113.626	122.263
भूटान आयात	4.789	4.8
कुल अखिल भारतीय	911.652	975
बीयू = बिलियन यूनिट # अनंतिम		

(घ) सरकार ने 12 फरवरी, 2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की है, जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की परिधि के भीतर विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए निर्देश की व्यवस्था है। इस नीति के उद्देश्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बिजली की पहुंच, विद्युत की उपलब्धता, विश्वसनीय और गुणवत्ता विद्युत की आपूर्ति आदि शामिल हैं। इनमें ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान और विकास(आर एंड डी), ऊर्जा संरक्षण, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास, सह उत्पादन और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों आदि जैसे मामलों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

\*\*\*\*\*

विद्युत की मांग के बारे में लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 505 के विवरण के उत्तर के भाग (ख) के संबंध में निर्दिष्ट अनुबंध

12वीं योजना के दौरान प्रस्तावित तापीय क्षमता अभिवृद्धि का राज्य-वार, क्षेत्र-वार संक्षिप्त ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय	राज्य	निजी	कुल
1	दिल्ली	0	750	0	750
2	हरियाणा	500	0	660	1160
3	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
4	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0	0
5	पंजाब	0	0	3920	3920
6	राजस्थान	0	1260	270	1530
7	उत्तर प्रदेश	1000	1750	1980	4730
8	उत्तराखंड				0
9	चंडीगढ़				0
<b>उप-जोड़ उत्तरी क्षेत्र</b>		<b>1500</b>	<b>3760</b>	<b>6830</b>	<b>12090</b>
10	छत्तीसगढ़	660	1500	10680	12840
11	गुजरात	0	1452	1400	2852
12	महाराष्ट्र	1000	1410	7890	10300
13	मध्य प्रदेश	1000	1700	4280	6980
14	गोवा	0	0	0	0
15	दमन एवं दीव	0	0	0	0
16	दादर एवं नागर हवेली	0	0	0	0
<b>उप-जोड़ पश्चिमी क्षेत्र</b>		<b>2660</b>	<b>6062</b>	<b>24250</b>	<b>32972</b>
17	आंध्र प्रदेश	0	2200	6160	8360
18	कर्नाटक	0	0	0	0
19	केरल	0	0	0	0
20	तमिलनाडु	2250	1800	660	4710
21	पुडुचेरी	0	0	0	0
<b>उप-जोड़ दक्षिणी क्षेत्र</b>		<b>2250</b>	<b>4000</b>	<b>6820</b>	<b>13070</b>
22	बिहार	4690	0	0	4690
23	झारखंड	1000	0	1080	2080
24	ओडिशा	0	0	3960	3960
25	सिक्किम	0	0	0	0
26	पश्चिम बंगाल	1200	0	600	1800
<b>उप-जोड़ पूर्वी क्षेत्र</b>		<b>6890</b>	<b>0</b>	<b>5640</b>	<b>12530</b>
27	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
28	असम	750	100	0	850
29	मणिपुर	0	0	0	0
30	मिजोरम	0	0	0	0
31	मेघालय	0	0	0	0
32	नागालैंड	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	827.6	0	0	827.6
<b>उप-जोड़ पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>		<b>1577.6</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1677.6</b>
34	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>14877.6</b>	<b>13922.0</b>	<b>43540.0</b>	<b>72339.6</b>

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

\*\*\*\*

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 519

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है

## राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोयले का आयात

**+\* 519. श्री एन. कृष्णः**

**डॉ० पी. वेणुगोपालः**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा विद्युत क्षेत्र को कोयले की प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में आपूर्ति की जा रही है और सरकारी और निजी क्षेत्रों हेतु विद्युत क्षेत्र द्वारा पृथक-पृथक कोयले की कितने प्रतिशत कमी का सामना करना पड़ रहा है ;
- (ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा आयात किए जाने वाले कोयले का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितने कोयले का आयात किया गया और आयातित कोयले की संयंत्र-वार पहुंच लागत कितनी है तथा इसका सकल तापजनक मूल्य क्या है;
- (ग) क्या कोयले के आयात से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयंत्रों के विद्युत प्रशुल्क में वृद्धि हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के उन विनियमों का पालन कर रहा है, जिनमें उसे सकल तापजनक मूल्य के मानदंडों, घरेलू कोयले और आयातित कोयले के ईंधन के मूल्य तथा उत्पादक कंपनी की वेबसाइट पर कोयले की ई-नीलामी का ब्यौरा देना होता है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोयले के आयात के संबंध में लोकसभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 519 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

\*\*\*\*\*

(क): वर्ष 2012-13 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 362.0 मिलियन टन(एमटी) कोयले और निजी क्षेत्र के लिए 41.2 एमटी कोयले की अनुबंधित मात्रा की तुलना में क्रमशः 317.2 एमटी(88%) और 26.6 एमटी(65%) कोयले की आपूर्ति की है।

(ख) और (ग): वर्तमान वर्ष के दौरान एनटीपीसी द्वारा 16.6 एमटी कोयले का आयात किए जाने की संभावना है। आयातित कोयला, औसत पहुंच लागत, सकल तापजनक मूल्य(जीसीवी) और वर्ष 2012-13 के दौरान आयातित कोयले की ब्लैंडिंग के कारण प्रशुल्क (र0/केडब्ल्यूएच) में सांकेतिक वृद्धि के स्टेशन-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) और (ड.): जी हां।

दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की सीईआरसी की अधिसूचना का संगत उद्धरण नीचे दिया गया है:

" इसके अलावा यह प्रावधान है कि बिलों की प्रतियां एवं जीसीवी के पैरामीटरों के ब्यौरे तथा ईंधन अर्थात् घरेलू कोयला, आयातित कोयला, ई-नीलामी कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, तरल ईंधन आदि की कीमत, आयातित कोयले की घरेलू कोयले से ब्लैंडिंग के अनुपात का ब्यौरा, ई-नीलामी कोयले का अनुपात भी उत्पादक कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। ये ब्यौरे मासिक आधार पर इसकी वेबसाइट पर तीन महीने की अवधि के लिए उपलब्ध होने चाहिए।"

उपर्युक्त आदेश के अनुसार, जनवरी, 2013 और फरवरी, 2013 माह की सूचना एनटीपीसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

\*\*\*\*

एनटीपीसी द्वारा कोयले के आयात के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं0 519 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

2012-13 के दौरान आयात कोयले का विवरण

थर्मल पावर स्टेशन	31.3.2013 की स्थिति अनुसार क्षमता(मे0वा)	आयातित कोयला(एमटी में)	आयातित कोयले की औसत पहुंच लागत(आईएनआर/टन)	आयातित कोयले के मिश्रण के कारण प्रशुल्क(रु0/केडब्ल्यूएच) में सांकेतिक वृद्धि
तालचेर सुपर	3000	2.218	5905	0.45
फरक्का	2100	1.048	6578	0.19
कहलगांव	2340	1.075	7008	0.24
रामागुंडम । व ॥	2100	0.339	6293	0.05
सिम्हाद्री	2000	1.479	5082	0.09
दादरी	1820	1.213	7318	0.21
रिहंद	2500	0.104	7551	0.03
टांडा	440	0.004	7828	0.03
ऊंचाहार	1050	0.216	7398	0.09
विंध्याचल	4260	0.096	7625	0.02
कोरबा	2600	0.365	6974	0.10
सीपत	2980	0.983	6917	0.28
कुल		9.14		

उपर्युक्त आयातित कोयले का जीसीवी सिम्हाद्री को छोड़कर, जहां लगभग 0.425 एमटी 4,500-5,500 किलो कैलोरी/ किलोग्राम(यथाप्राप्त आधार पर) के बीच के स्तर का निम्न जीसीवी का कोयला भी प्रायोगिक आधार पर खरीदा गया था, एनटीपीसी के सभी स्टेशनों के लिए 5,800-6,500 किलो कैलोरी/ किलोग्राम(शुष्कीकृत वायु के आधार पर) के बीच था ।

\* लागत प्रशुल्क में वृद्धि का ठीक-ठीक रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि केवल ब्लैंडिड कोयले की बिलिंग की जाती है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5766

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली लगाना

†5766. श्री पी.सी. गद्दीगौदर:

श्री आधि शंकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा गठित विद्युत क्षेत्र कंपनियों के सलाहकार समूह ने विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रारूप मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) में परिवर्तन की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या समूह ने विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित डिजाइन-निर्माण वित्त-पोषण संचालन-अंतरण मॉडल पर चिंता जतायी है तथा कहा है कि एसबीडी में ईंधन मूल्य वृद्धि तथा मंजूरी में देरी जो विकासकर्ताओं के नियंत्रण से बाहर है जैसे कारकों की गणना करने में लचीलेपन की कमी है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : जी, हां। सलाहकार समूह ने दिनांक 6 मार्च, 2013 को आयोजित अपनी बैठक में स्थान विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं/सुझाव दिए हैं:-

- वर्तमान दस्तावेज डीबीएफओटी मॉडल पर आधारित है जो विद्यमान बीओओ मॉडल से भिन्न है और इससे ऋणदाताओं को परियोजना परिसम्पत्तियों पर पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, संबद्ध जोखिम हो सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप प्रशुल्क में वृद्धि होगी।

- कुछ तकनीकी एवं प्रचालानात्मक पैरामीटर प्रचालन वास्तविकताओं के साथ संरेखित नहीं किए गए हैं, उदाहरण स्वरूप 90% पर उपलब्धता, 5% पर आनुषंगिक खपत, 2350 किलो कैलोरी/केडब्ल्यूएच का शुद्ध स्टेशन हीट रेट आदि और इन्हें लागू करना कठिन था और इसलिए सीईआरसी/सीईए के मानदण्डों के अनुरूप व्यावहारिक मानदण्ड अपनाने आवश्यक हैं।
- समापन और अधिग्रहण प्रावधान सख्त थे और परिसम्पत्तियों को अंतरित कर पाना कठिन होगा और इसलिए विदेशी बैंकरों द्वारा वित्तपोषण सीमित हो सकता है।
- स्वदेशी खदानों अथवा आयातित कोयले पर आधारित परियोजनाओं की बोली के मामले में, एसबीडी में ईंधन की लागत में अपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का प्रावधान किया गया है जिससे विकासकर्ता पर ईंधन जोखिम भार पड़ेगा।
- स्वतंत्र इंजीनियर तथा सुरक्षा परामर्शदाता की भूमिका से संबंधित खण्ड अनुचित हस्तक्षेप वाले थे।
- एक नया दस्तावेज तैयार करने के बजाए केवल विद्यमान बीओओ दस्तावेज में कुछ संशोधन किए जाएं।

(घ) : सलाहकार समूह के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई अधिकतर चिंताओं/उठाए गए मुद्दों पर बैठक में स्पष्टीकरण दिया गया था/चर्चा की गई थी। स्थान विशिष्ट विद्युत परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेजों (एसबीडी) के प्रारूप का मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5767

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

5767. श्री रमाशंकर राजभर:

श्री हरि मांझी:

श्री रमेश बैस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) राज्यों की मांगों के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति कब तक हो पाएगी तथा इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है; और
- (घ) इस संबंध में अपेक्षित कुल राशि कितनी है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए भारत के 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) में उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 12वीं योजना के लिए, अर्थात् 2012-13 से 2016-17 तक) विद्युत स्टेशन बस-वार (केवल यूटिलिटीयां) पर विद्युत ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम विद्युत भार का वर्षवार पूर्वानुमान लगाया गया है।

12वीं योजना (अर्थात् 2012-13 से 2016-17 तक) के अंत तक विद्युत ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम विद्युत भार का वर्षवार पूर्वानुमान अनुबंध में दिया गया है।

(ग) : योजना आयोग के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की आयोजना की गई है। इस क्षमता अभिवृद्धि से 12वीं योजना (2016-17) के समाप्ति वर्ष तक अखिल भारतीय आधार पर विद्युत की प्रक्षेपित मांग की पूरी तरह से पूर्ति होने की संभावना है। सरकार ने विभिन्न राज्यों को सलाह दी है कि वे अपनी मांग आपूर्ति परिदृश्य के अनुरूप विद्युत अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में तेजी लाएं।

(घ) योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों के अनुसार पारंपरिक स्रोतों से विद्युत उत्पादन हेतु 15,01,666 करोड़ रुपए (वर्तमान मूल्य स्तर पर) की राशि प्रक्षेपित की गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा मे दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्ध अतारंकित प्रश्न संख्या 5767 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

अखिल भारतीय तथा राज्य-वार/संघ राज्य-क्षेत्र वार पूर्वानुमान

12वीं योजना की समाप्ति तक विद्युत स्टेशन बस-वार पर ऊर्जा आवश्यकता और व्यस्ततम विद्युत भार (केवल यूटिलिटियां)

राज्य/सं. राज्य क्षेत्र	12वीं योजना की समाप्ति तक ऊर्जा आवश्यकता एमयू में	12वीं योजना की समाप्ति तक व्यस्ततम विद्युत भार मे.वा. में
	2016-17	2016-17
दिल्ली	37529	6398
हरियाणा	56681	10273
हिमाचल प्रदेश	10901	1900
जम्मू एवं कश्मीर	16298	2687
पंजाब	69410	12342
राजस्थान	77907	13886
उत्तर प्रदेश	138854	23081
उत्तराखंड	12751	2189
चंडीगढ़	2165	426
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>422498</b>	<b>60934</b>
गोवा	4853	815
गुजरात	108704	19091
छत्तीसगढ़	24222	4687
मध्य प्रदेश	77953	13904
महाराष्ट्र	169353	28645
दादर एवं नागर हवेली	6286	944
दमन एवं दीव	2817	441
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>394188</b>	<b>62015</b>
आंध्र प्रदेश	129767	22445
कर्नाटक	78637	13010
केरल	26584	4669
तमिलनाडु	119251	20816
पुडुचेरी	3586	630
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>357826</b>	<b>57221</b>
बिहार	29447	5018
झारखंड	27691	4616
ओडिशा	35772	5672
प. बंगाल	70352	11793
सिक्किम	528	144
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>163790</b>	<b>24303</b>
असम	8947	1817
मणिपुर	1241	346
मेघालय	2243	445
नागालैंड	834	185
त्रिपुरा	1401	340
अरुणाचल प्रदेश	552	135
मिजोरम	936	285
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>16154</b>	<b>2966</b>
अंदमान एवं निकोबार	366	67
लक्षद्वीप	52	11
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>1354874</b>	<b>199540</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5768

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत का व्यापार

†5768. राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या निजी विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत का व्यापार प्राधिकृत है तथा वे विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत किसी राज्य को विद्युत बेच सकते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में बने उपबंध क्या हैं;
- (ग) क्या पूर्वोक्त कंपनियां उस स्थिति में भी उच्च दर पर अन्य राज्यों को विद्युत बिक्री कर सकती हैं जब उनके अपने कार्यकरण क्षेत्र में कोई अधिशेष विद्युत न हो;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
- (ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक उपाय किए गए/किये जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, हाँ। वितरण कंपनियां किसी भी व्यक्ति को विद्युत के विक्रय हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतिम परन्तुक में निम्नवत व्यवस्था की गई है:-

"परन्तु यह भी कि वितरण लाइसेंसियों के लिए विद्युत की ट्रेडिंग शुरू करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुसार, वितरण कंपनियां विद्युत का व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

(ग) और (घ) : वितरण कंपनियां संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित दरों पर अपने उपभोक्ताओं को विद्युत के विक्रय के लिए अधिनियम के अंतर्गत बाध्य हैं। चूंकि वितरण कंपनी द्वारा शुरू की गई विद्युत ट्रेडिंग अपनी स्वयं की परिस्थितियों और नीतियों के अनुसार होती है और अधिनियम की धारा

62(1)(क) में की गई व्यवस्था के अनुसार ट्रेडिंग के लिए टैरिफ के निर्धारण की परिकल्पना नहीं की गई है जो निम्नवत है:-

"परन्तु यह कि उपयुक्त आयोग, बिजली की आपूर्ति की कमी के मामले में, बिजली की उचित कीमतों को सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष तक की अवधि के लिए उत्पादन कंपनी और लाइसेंसी या दो लाइसेंसियों के बीच किए गए करार के अनुसरण में विद्युत के क्रय अथवा विक्रय हेतु प्रशुल्क की न्यूनतम और उच्चतम सीमा निर्धारित कर सकेगा।"

ट्रेडिंग कारोबार उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित ट्रेडिंग मार्जिन, यदि कोई है, के अधीन है।

(ड) : इस संबंध में उपयुक्त आयोग राज्य विद्युत विनियामक आयोग हैं और इस संबंध में उपयुक्त सरकार राज्य सरकारें हैं।

तथापि, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13 अप्रैल, 2011 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि:-

(i) विद्युत अधिनियम और अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियां डिस्कॉम द्वारा विद्युत के लघु अवधि विक्रय को नियंत्रित करने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को अनुमति देती है।

(ii) राज्य विद्युत विनियामक आयोग इस लघु अवधि विद्युत की प्राप्ति लागत पर उच्चतम सीमा का निर्धारण भी कर सकते हैं; और

(iii) यदि इस विद्युत को एआरआर में निर्धारित औसत विद्युत क्रय लागत से अधिक के मूल्य पर अनुबंधित किया जाता है तो एसईआरसी इस संबंध में उस डिस्कॉम की एआरआर पर विचार करते समय इस आशय को विनियम अथवा आदेश जारी कर सकते हैं कि किसी विशेष वर्ष के दौरान डिस्कॉम द्वारा अधिप्राप्त लघु अवधि विद्युत अपनी वार्षिक ऊर्जा आपूर्ति के कुछ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5769

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

दीर्घावधि ऊर्जा नीति

†5769. श्री अशोक तंवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में दीर्घावधि ऊर्जा नीति के मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;
- (ख) भविष्य हेतु सतत ऊर्जा नीति के विकास के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है; और
- (ग) पूरे देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : सरकार ने देश में दीर्घकालिक ऊर्जा नीति के मामले का समाधान करने के लिए एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) तैयार की है। आईईपी के अनुसार, भारत का प्राथमिक ऊर्जा उपयोग ऊर्जा तीव्रता में पर्याप्त कमी करने की अनुमति प्रदान करने के बाद भी वर्ष 2031-32 तक 9% की सतत वृद्धि दर प्रदान करने हेतु विस्तारित करने के लिए प्रक्षेपित है।

(ख) : बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार विभिन्न ऊर्जा मंत्रालयों की 12वीं योजना अवधि की सकल बजटीय सहायता निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

विद्युत मंत्रालय :	54,279
कोयला मंत्रालय :	4,617
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय :	5,147
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय :	19,113

(ग) : जहां तक विद्युत क्षेत्र का संबंध है, देश में विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, अखिल भारतीय आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए परम्परागत स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। 12वीं योजना के लिए राज्य-वार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम का ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5769 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

### 12वीं योजना के दौरान राज्यवार क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

( मेगावाट में)

क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	कुल
1	दिल्ली	750
2	हरियाणा	1160
3	हिमाचल प्रदेश	3583
4	जम्मू कश्मीर	1109
5	पंजाब	3920
6	राजस्थान	2930
7	उत्तर प्रदेश	4730
8	उत्तराखंड	1025
9	चंडीगढ़	0
10	छत्तीसगढ़	12840
11	गुजरात	4252
12	महाराष्ट्र	10300
13	मध्य प्रदेश	7380
14	गोवा	0
15	दमन एवं दीव	0
16	दादर नागर हवेली	0
17	आंध्र प्रदेश	8770
18	कर्नाटक	0
19	केरल	100
20	तमिलनाडु	7270
21	पुडुचेरी	0
22	बिहार	4690
23	झारखंड	2080
24	ओडिशा	3960
25	सिक्किम	2066
26	प. बंगाल	2092
27	अरुणाचल प्रदेश	1710
28	असम	850
29	मणिपुर	0
30	मिजोरम	60
31	मेघालय	82
32	नागालैंड	0
33	त्रिपुरा	828
34	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0
35	लक्षद्वीप	0
	<b>कुल</b>	<b>88537</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5770

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

उद्योगों को विद्युत आपूर्ति

†5770. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में औद्योगिक क्षेत्र साठ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति प्रतिबंधों से जूझ रहा है तथा उन्हें दिए जा रहे विद्युत बिल उनके व्यवसाय की निवल संपत्ति से अधिक हो रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) इस संबंध में कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- किसी भी राज्य में विद्युत की आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है, जो कि राज्य में औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति करने से संबंधित व्यवस्था करती है। विद्युत की मांग और इसकी उपलब्धता तथा उस राज्य की प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए उद्योगों पर संबंधित राज्य द्वारा लोड शेडिंग तथा सांविधिक पावर कट्स लगाए जाते हैं। उद्योगों को विद्युत आपूर्ति की मात्रा को सीमित किया जाना राज्य-दर-राज्य, मौसम-दर-मौसम, यहाँ तक कि दिन के समय आदि के अनुसार अलग-अलग होता है, जो कि विद्युत की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। विद्युत बिल विद्युत की खपत तथा संबंधित राज्य के विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित लागू टैरिफ के अनुसार दिए जाते हैं।

विद्युत की समग्र कमी, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में पावर कट्स होते हैं, के कारण निम्नानुसार हैं-

- (i) सामान्यतया राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि और क्षमता अभिवृद्धि के मुकाबले विद्युत की मांग में ज्यादा वृद्धि।
- (ii) कुछ थर्मल उत्पादक इकाईयों में निम्न संयंत्र भार कारक।
- (iii) ईंधन की अपर्याप्त उपलब्धता।
- (iv) विद्युत की चोरी सहित उच्च सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां।
- (v) राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के कारण उनके लिए, पर्याप्त उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली के सृजन अथवा विद्युत खरीद हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना कठिन हो जाना।

(ग)- देश में विद्युत की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं -

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-2017) के दौरान 88,537 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि।
- (ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की कड़ी मानीटरिंग ।
- (iii) 4,000 मेगावाट, प्रत्येक, क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास ।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू निर्माण क्षमता का संवर्द्धन ।
- (v) वर्तमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर तथा गैस आधारित विद्युत केंद्रों का समन्वित प्रचालन और रख-रखाव ।
- (vi) थर्मल विद्युत केंद्रों को घरेलू स्रोतों से की जाने वाली कोयला आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटीज द्वारा कोयले का आयात ।
- (vii) पुरानी तथा अकुशल उत्पादन इकाईयों का नवीकरण आधुनिकीकरण तथा जीवन विस्तार ।
- (viii) उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर-राज्यीय तथा अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5779

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी का संयुक्त उपक्रम

**5779. श्री अशोक कुमार रावत:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) ने इलाहाबाद में मेजा में ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं प्रस्तावित क्षमता क्या है; और
- (ग) इस परियोजना के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, हां।

(ख) : एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) ने इलाहाबाद के मेजा तहसील में 2x660 मेगावाट (1320 मेगावाट) की कोयला आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना और प्रचालन एवं अनुरक्षण शुरू करने के लिए 50:50 शेयर होल्डिंग के माध्यम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् मेजा ऊर्जा निगम प्रा. लि. (दिनांक 02.04.2008 को शामिल की गई) का गठन किया है।

(ग) : स्टीम जेनरेटर पैकेज के लिए 30.04.2012 को तथा टरबाइन जेनरेटर पैकेज 01.05.2012 को अर्वाड किया गया था। परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5795

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

पारेषण गलियारा

†5795. श्री सी. राजेन्द्रन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दक्षिणी राज्यों विशेष रूप से तमिलनाडु को विद्युत आपूर्ति के लिए देश में उपलब्ध पारेषण गलियारों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सच है कि पारेषण गलियारे की समस्या के कारण तमिलनाडु राज्य को पर्याप्त विद्युत प्राप्त नहीं हो रही है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : दक्षिणी क्षेत्र के भीतर कई पारेषण लाइनें तथा साथ ही दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ने वाली अंतर-क्षेत्रीय लाइनें हैं जो तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति करती है। इसके विवरण नीचे दिए गए हैं :-

(i) दक्षिणी क्षेत्र के अंदर पारेषण लाइनें :-

वर्तमान में, तमिलनाडु दक्षिणी क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर-राज्य पारेषण लाइनों के माध्यम से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से विद्युत प्राप्त कर सकता है:

1. नेल्लोर - एस.पी. बुदुर 400 केवी डी/सी लाइन
2. चित्तूर/कुड्डापह - एस.पी. बुदुर 400 केवी एस/सी लाइन
3. कोलार - एस.पी. बुदुर 400 केवी एस/सी लाइन
4. कोलार - होसुर 400 केवी डी/सी लाइन
5. सोमनाहल्ली - सलेम 400 केवी एस/सी लाइन

**(ii) दक्षिणी क्षेत्र को जोड़ रही अंतर-क्षेत्रीय लाइनें:**

दक्षिणी क्षेत्र के बाहर से विद्युत प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित अंतर-क्षेत्रीय पारेषण लिंक्स मौजूद हैं :-

1. गजुवाका एचवीडीसी बैक टू बैक
2. बलीमेला- अप्पर सिलेरू 220 केवी एस/सी लाइन
3. तलचेर - कोलार एचवीडीसी बाइपोल
4. चंद्रपुर एचवीडीसी बैक-टू-बैक
5. कोल्हापुर - बेलगाम 220 केवी डी/सी लाइन
6. पोंडा - नागाझरी 220 केवी डी/सी लाइन

**(ख) और (ग) :** तमिलनाडु राज्य दक्षिणी क्षेत्र के बाहर से अतिरिक्त विद्युत आयात करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उत्तर-पूर्व-पश्चिम (एनईडब्ल्यू) ग्रिड तथा दक्षिणी क्षेत्र (एसआर) ग्रिड के बीच का अंतर-क्षेत्रीय कॉरीडोर एनईडब्ल्यू ग्रिड से एसआर राज्यों द्वारा दीर्घकालीन और मध्यम कालीन विद्युत के आयात के लिए इस समय पूरी तरह से बुक है। कॉरीडोर कंजेशन को दूर करने के लिए एनईडब्ल्यू ग्रिड तथा एसआर ग्रिड के बीच अतिरिक्त अंतर-क्षेत्रीय संपर्क और एसआर के अंदर अंतः-क्षेत्रीय संपर्कों की योजना बनाई जा चुकी है तथा ये निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5796

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत प्रश्न

†5796. श्रीमती श्रुति चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या निजी विद्युत उत्पादक कम्पनियों ने उनके द्वारा उत्पादित की जा रही विद्युत के लिए उच्चतर प्रशुल्क की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जानी प्रस्तावित है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, निम्नलिखित उत्पादक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कोयला कीमतों में वृद्धि तथा इंडोनेशिया सरकार के विनियम के प्रभाव, जिसमें उस देश से कोयले के निर्यात के लिए दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति करार को अंतर्राष्ट्रीय कोयला कीमतों के साथ संरेखित किया जाना अपेक्षित है, के लिए राहत हेतु केंद्रीय आयोग से संपर्क किया है-

(i) अदानी पावर लिमिटेड

(ii) टाटा पावर लिमिटेड, अपनी सहयोगी कंपनी कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के माध्यम से।

(iii) रिलायंस पावर लिमिटेड, अपनी सहयोगी कंपनी कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड के माध्यम से।

अदानी पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड के मामले में, केंद्रीय आयोग ने एक सदस्य की असहमति के नोट के साथ आदेश जारी करके उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों/राज्य सरकारों को ऐसी समितियां गठित करने का निर्देश दिया है कि ऐसा क्षतिपूर्ति टैरिफ सुझाएं जिसे अंतर्राष्ट्रीय कोयला कीमतों में वृद्धि होने के कारण कठिनाई की अवधि के लिए विद्युत क्रय करार (पीपीए) में सहमत टैरिफ के अतिरिक्त स्वीकार किया जा सके।

(ग)- प्रापणकर्ताओं (जिसमें अधिकांश राज्य यूटिलिटियां हैं) और विद्युत परियोजनाओं के विकासकर्ताओं (स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता) (आईपीपी) के बीच हुए विद्युत क्रय करार (पीपीए) पार्टियों के

बीच कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय संविदाएं हैं उक्त संविदा के संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होती हैं और विद्युत मंत्रालय का इस संबंध में सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5797

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. को कोयला आपूर्ति

†5797. श्री अवतार सिंह भडाना:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान फरक्का, कहलगांव, बदरपुर और टाण्डा में स्थित राष्ट्रीय विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) को कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) से सस्ता, अच्छा और अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त हुआ है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) एन.टी.पी.सी. का सी.आई.एल. को लंबित देय का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा सी.आई.एल. और इसकी सहायक कम्पनियों के बकाया के भुगतान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : एनटीपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, फरक्का, कहलगांव, बदरपुर और टांडा के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) 22.8 मिलियन टन (एमटी) है। इस एसीक्यू में से, वर्ष 2011-12 के दौरान, इन स्टेशनों को सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) प्रणाली के माध्यम से कोयले के संगत ग्रेड के लिए अधिसूचित मूल्य पर प्राप्त वास्तविक कोयले की मात्रा 21.9 एमटी थी। इस प्रकार, एसीक्यू के संदर्भ में 0.9 एमएमटी की कमी थी।

(ग) और (घ) : एनटीपीसी द्वारा सीआईएल की समस्त सहायक कंपनियों को कोयला आपूर्ति के लिए भुगतान प्राप्त किए गए कोयले की जीसीवी, जिसे एनटीपीसी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है, के अनुसार किया जा रहा है, न कि सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा दावा किए जीसीवी के लिए।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5806

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

संयुक्त विद्युत आयोग

†5806. श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विभिन्न संघ राज्यक्षेत्रों विशेष रूप से लक्षद्वीप में विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत संयुक्त विद्युत आयोग की स्थापना के क्या कारण हैं;
- (ख) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अंतर्गत ऐसे निकाय की स्थापना से लक्षद्वीप को छूट प्राप्त है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्षद्वीप में ऐसे निकाय की मौजूदगी के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या यह निकाय विद्यमान नियमावली के अंतर्गत विद्युत प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या इस आयोग को बंद करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 83 (1) में एक या अधिक संघ राज्य क्षेत्रों और एक या अधिक राज्य सरकारों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा किए जाने वाले करार द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने की व्यवस्था है। केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली को छोड़कर संघ राज्य के लिए जेईआरसी का गठन उपर्युक्त सांविधिक प्रावधान के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय की दिनांक 02.05.2005 के अधिसूचना के माध्यम से किया गया है। संघ क्षेत्रों के लिए जेईआरसी की स्थापना, गृह मंत्रालय जो कि संघशासित क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय, के साथ विचार-विमर्श करने के बाद तथा विधि मामला विभाग से विधि सुझाव प्राप्त करने के पश्चात

की गयी थी । इसे ध्यान में रखते हुए तथ्य यह है कि शेष बचे हुए छः संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली को छोड़कर) में विद्युत क्षेत्र में प्रचालनों की मात्रा ऐसी है, जहाँ केवल एक संयुक्त आयोग के द्वारा पर्याप्त रूप से देख-रेख की जा सकती है ।

**(ख) और (ग) :** जी, नहीं । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-8 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विनियामक निकाय की स्थापना से छूट से संबंधित नहीं है ।

**(घ) :** जी, हां । जेईआरसी को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 के अंतर्गत विद्युत प्रशुल्क तय करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं।

**(ङ) और (च) :** जी, नहीं । इस आयोग को भंग करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5819

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत संकट

5819. श्री सुदर्शन भगत:

डॉ. अनुप कुमार साह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की कमी के कारण देश में अधिकतर ताप-विद्युत संयंत्र बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत क्षेत्र की वृद्धि-दर में निरंतर गिरावट के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान देश में विद्युत की कमी बढ़ने और इससे व्यापक वित्तीय संकट खड़ा होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संकट को समाप्त करने के लिए क्या तात्कालिक कदम उठाए जा रहे/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) 11वीं योजना अवधि में विद्युत क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 में 3.96 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। वर्ष 2012-13 में वृद्धि दर पर दबाव मुख्यतः खराब हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों और केजीडी-6 बेसिन से गैस की उपलब्धता में भारी कमी के कारण अपर्याप्त गैस उपलब्धता के कारण है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2011-12 में 10.6 प्रतिशत की कमी की तुलना में वर्ष 2012-13 में व्यस्ततम कमी 9 प्रतिशत थी। 88,537 मेगावाट की उत्पादन क्षमता को जोड़े जाने, 82 मिलियन टन कोयले के आयात, पारेषण और वितरण हानियों में कमी लाने इत्यादि के निर्णय से व्यस्ततम मांग और व्यस्ततम पूर्ति के बीच का अंतर कम होने की संभावना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5821

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

आर.जी.जी.वी.वाई. के कार्यान्वयन हेतु निधि

5821. श्री अर्जुन राम मेघवाल:

श्री एम.के. राघवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई. ) के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी ने केन्द्र सरकार से 55,000 करोड़ रुपए की निधि की मांग की है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह निधि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या पर्याप्त वित्तीय सहायता के अभाव में इस योजना का कार्यान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ है और विद्युत प्रभार में वृद्धि हुई है जबकि उक्त योजना में उचित दर पर विद्युत की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, नहीं । राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की नोडल एजेंसी अर्थात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन(आरईसी) ने भारत सरकार से 55,000 करोड़ ₹ की निधि की मांग नहीं की है ।

(ख)- प्रश्न नहीं उठता ।

(ग)- जी, नहीं । वित्तीय सहायता की कमी के कारण स्कीम का कार्यान्वयन प्रभावित नहीं हुआ है । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने के लिए टैरिफ, राज्य यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ।

(घ)और(ङ)- प्रश्न नहीं उठता ।

\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5824

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की चोरी

†5824. श्री अब्दुल रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्युत अधिनियम, 2003 में परिवर्तन करके देश में विद्युत-चोरी जैसे अपराधों हेतु दंड का कड़ा प्रावधान करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी नहीं । विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत की चोरी के लिए उपायों की पहले से ही व्यवस्था है जिसे 2007 में अधिनियम में संशोधनों के माध्यम से और सख्त बनाया गया है ।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5826

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति का आकलन

†5826. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि हेतु व्यस्ततम और गैर-व्यस्ततम दोनों समय में विद्युत की आवश्यकता, मांग और आपूर्ति के परिदृश्य का कोई आकलन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघराज्य-क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इसमें कितना क्षमता संवर्धन किए जाने की संभावना है;
- (ग) उक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए कितना निवेश अपेक्षित है; और
- (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने के स्रोतों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किए गए भारत के 18वें इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण (ईपीएस) में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए देश की विद्युत ऊर्जा मांग (ईईआर) और वार्षिक व्यस्ततम विद्युत भार (एपीईएल) का अनुमान लगाया है।

18 वें ईपीएस के अनुसार, 12वीं योजना के लिए अखिल भारतीय विद्युत ऊर्जा मांग (एमयू) और व्यस्ततम विद्युत भार (मेगावाट) निम्नवत् है :-

क्रम सं.	वर्ष	ईईआर (एमयू)	एपीईएल (मेगावाट)
1.	2012-13	1007694	143967
2.	2013-14	1084610	156208
3.	2014-15	1167731	169491
4.	2015-16	1257589	183902
5.	2016-17	1354874	199540

12वीं योजना अवधि के लिए विद्युत ऊर्जा मांग (एमयू) और व्यस्ततम विद्युत भार (मेगावाट) का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है।

योजना आयोग के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अखिल भारतीय आधार पर पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उठाए गए कदम निम्नलिखित

हैं:-

- (i) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी ।
- (ii) क्षमता अभिवृद्धि में आने वाली रूकावटों को चिन्हित करने और इन मामलों का समाधान करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा सीईए, उपस्कर विनिर्माताओं राज्य यूटिलिटीयों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।
- (iii) मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए, देश में मुख्य संयंत्र उपस्करों के विनिर्माण के लिए विभिन्न संयुक्त उद्यमों की स्थापना के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपस्कर का क्षमता निर्माण किया गया है ।
- (iv) विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला और गैस उपलब्ध करवाने पर बल ।
- (v) नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है । एमएनआरई के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान सम्भावित ग्रिड इन्टरएकाटिव नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि लगभग 30,000 मेगावाट है ।

(घ) और (ङ) : योजना आयोग के 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के प्रारूप के अनुसार, 12वीं योजना के दौरान विद्युत के लिए कुल निवेश मांग 18.2 लाख करोड़ रूपए है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निधियों के स्रोतों में बजटीय सहायता, आंतरिक उत्पादन तथा ऋण लेना शामिल हैं । निजी क्षेत्र की निधियों में आंतरिक संग्रहण या इक्विटी और ऋण लेना शामिल हैं । ऋण स्रोतों में घरेलू बैंक ऋण, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पेंशन/बीमा निधियाँ तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋण लेना शामिल हैं ।

\*\*\*\*\*

दिनांक 02.05.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5826 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

अखिल भारतीय और राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार पूर्वानुमान ।					
विद्युत स्टेशन बस-बार (केवल यूटिलिटियां) (यू/आर) पर विद्युत ऊर्जा मांग ।					
2009-10 से 2016-17					
(मिलियन यूनिटों में)					
राज्य/यूटी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
दिल्ली	29100	31011	33047	35217	37529
हरियाणा	40750	44254	48060	52193	56681
हिमाचल प्रदेश	8974	9421	9891	10384	10901
जम्मू एवं कश्मीर	14425	14872	15333	15808	16298
पंजाब	51595	55567	59844	64450	69410
राजस्थान	54243	59382	65007	71166	77907
उत्तर प्रदेश	93148	102924	113727	125664	138854
उत्तराखंड	10735	11207	11700	12214	12751
चंडीगढ़	1767	1859	1956	2058	2165
उत्तरी क्षेत्र	304716	330657	358806	389352	422498
गोवा	3641	3912	4204	4517	4853
गुजरात	82331	88254	94603	101409	108704
छत्तीसगढ़	17703	19146	20707	22396	24222
मध्य प्रदेश	56763	61448	66519	72010	77953
महाराष्ट्र	140736	147402	154383	161695	169353
दादरा एंड नगर हवेली	4977	5276	5593	5930	6286
दमन एंड दीप	2375	2479	2587	2700	2817
पश्चिमी क्षेत्र	305153	325323	346825	369749	394188
आंध्र प्रदेश	93189	101231	109968	119458	129767
कर्नाटक	58513	63001	67833	73036	78637
केरल	20516	21889	23354	24917	26584
तमिलनाडु	91625	97865	104529	111648	119251
पुंडुचेरी	3024	3155	3293	3436	3586
दक्षिणी क्षेत्र	266433	286820	308767	332392	357826
बिहार	16529	19096	22062	25489	29447
झारखंड	21309	22844	24407	25990	27691
ओडिशा	26265	28374	30652	33113	35772
पश्चिमी बंगाल	51021	55288	59912	64923	70352
सिक्किम	440	461	482	504	528
पूर्वी क्षेत्र	115006	125635	137247	149933	163790
असम	6392	6953	7562	8225	8947
मणिपुर	737	840	956	1089	1241
मेघालय	1749	1861	1981	2108	2243
नागालैंड	692	725	760	796	834
त्रिपुरा	1029	1112	1201	1297	1401
अरुणाचल प्रदेश	524	531	538	545	552
मिज़ोरम	503	588	686	801	936
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र	11624	12621	13703	14878	16154
अंडमान एंड निकोबार	328	337	347	356	366
लक्षद्वीप	43	45	47	49	52

अखिल भारत	1001922	1080438	1165108	1256413	1354874
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

\*\*\*\*\*

अखिल भारतीय और राज्य-वार/संघ क्षेत्र-वार पूर्वानुमान ।					
विद्युत स्टेशन बस-वार (केवल यूटिलिटियां) (यू/आर) पर विद्युत ऊर्जा मांग ।					
2009-10 से 2016-17					
					(मेगावाट में)
राज्य/यूटी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
दिल्ली	5290	5547	5818	6101	6398
हरियाणा	7291	7944	8655	9429	10273
हिमाचल प्रदेश	1459	1558	1665	1778	1900
जम्मू एवं कश्मीर	2471	2523	2577	2631	2687
पंजाब	10292	10770	11271	11794	12342
राजस्थान	9396	10360	11422	12594	13886
उत्तर प्रदेश	14152	15993	18073	20424	23081
उत्तराखंड	1716	1824	1938	2060	2189
चंडीगढ़	352	370	387	406	426
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>44033</b>	<b>47758</b>	<b>51799</b>	<b>56181</b>	<b>60934</b>
गोवा	622	666	712	762	815
गुजरात	13047	14350	15782	17358	19091
छत्तीसगढ़	3534	3792	4070	4367	4687
मध्य प्रदेश	10299	11102	11967	12899	13904
महाराष्ट्र	22368	23795	25313	26928	28645
दादरा एंड नगर हवेली	693	749	809	874	944
दमन एंड दीप	380	394	409	425	441
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>46909</b>	<b>50300</b>	<b>53936</b>	<b>57835</b>	<b>62015</b>
आंध्र प्रदेश	15553	17044	18681	20476	22445
कर्नाटक	9742	10473	11258	12102	13010
केरल	3701	3922	4157	4405	4669
तमिलनाडु	14174	15736	17497	19489	20816
पुंडुचेरी	533	555	579	604	630
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>39850</b>	<b>43623</b>	<b>47752</b>	<b>52273</b>	<b>57221</b>
बिहार	2843	3277	3777	4354	5018
झारखंड	3452	3727	4010	4301	4616
ओडिशा	4397	4686	4994	5322	5672
पश्चिमी बंगाल	8289	9052	9887	10798	11793
सिक्किम	117	123	130	137	144
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>16638</b>	<b>18291</b>	<b>20109</b>	<b>22106</b>	<b>24303</b>
असम	1300	1414	1537	1671	1817
मणिपुर	180	212	249	294	346
मेघालय	338	362	388	415	445
नागालैंड	145	154	164	174	185
त्रिपुरा	254	274	294	317	340
अरुणाचल प्रदेश	111	117	123	129	135
मिज़ोरम	174	197	223	252	285
<b>उत्तरी पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>2214</b>	<b>2382</b>	<b>2563</b>	<b>2757</b>	<b>2966</b>
अंडमान एंड निकोबार	59	61	63	65	67
लक्षद्वीप	8	9	10	10	11
<b>अखिल भारत</b>	<b>143967</b>	<b>156208</b>	<b>169491</b>	<b>183902</b>	<b>199540</b>

\*\*\*\*\*

दिनांक 02.05.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5826 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

12वीं योजना के दौरान राज्य-वार क्षमता अभिवृद्धि		
क्रम सं.	राज्य/यूटी	क्षमता (मेगावाट में)
1	दिल्ली	750
2	हरियाणा	1,160
3	हिमाचल प्रदेश	3,583
4	जम्मू एवं कश्मीर	1,109
5	पंजाब	3,920
6	राजस्थान	2,930
7	उत्तर प्रदेश	4,730
8	उत्तराखंड	1,025
9	चंडीगढ़	0
उत्तरी क्षेत्र		19,207
10	छत्तीसगढ़	12,840
11	गुजरात	4,252
12	महाराष्ट्र	10,300
13	मध्य प्रदेश	7,380
14	गोवा	0
15	दमन एंड दीप	0
16	दादरा एंड नगर हवेली	0
पश्चिमी क्षेत्र		34,772
17	आंध्र प्रदेश	8,770
18	कर्नाटक	0
19	केरल	100
20	तमिलनाडु	7,270
21	पुंडुचेरी	0
दक्षिणी क्षेत्र		16,140
22	बिहार	4,690
23	झारखंड	2,080
24	ओडिशा	3,960
25	सिक्किम	2,066
26	पश्चिमी बंगाल	2,092
पूर्वी क्षेत्र		14,888
27	अरुणाचल प्रदेश	1,710
28	असम	850
29	मणिपुर	0
30	मिज़ोरम	60
31	मेघालय	82
32	नागालैंड	0
33	त्रिपुरा	828
उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र		3,530
	कुल	88,537

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5830

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

सीआईएल द्वारा कोयले की आपूर्ति

5830. श्री अर्जुन राय:

श्री नामा नागेश्वर राव:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

श्री रघुवीर सिंह मीणा:

श्री आधि शंकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा खरीदे गए कोयले की प्रमात्रा कितनी है;
- (ख) क्या सीआईएल से खरीदे गए कोयले में बड़ी मात्रा में पत्थर की मिलावट पायी गई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप एनटीपीसी को हुई वित्तीय हानि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) सीआईएल द्वारा आपूर्ति किए जा रहे कोयले के जीसीवी की तुलना में एनटीपीसी के बॉयलर द्वारा संभाले जाने वाले कोयले के ग्रेस कैलोरेफिक वैल्यू (जीसीवी) का ब्यौरा क्या है और एनटीपीसी एवं सीआईएल के बीच ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के हस्ताक्षर की स्थिति क्या है; और
- (ङ) इस स्थिति को संभालने तथा उचित एवं प्रभावी तरीके से सीआईएल के साथ मतभेदों के निपटान में केन्द्र सरकार और एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की विभिन्न सहायक कंपनियों से एनटीपीसी द्वारा खरीद किया गया कोयला नीचे दिया गया है:

वर्ष	कोयले की मात्रा (मिलियन टन)
2010-11	114.9
2011-12	115.8
2012-13	132.6

(ख) और (ग) : एनटीपीसी ने सूचित किया है कि अपने स्टेशनों पर प्राप्त किए जा रहे कोयले में (+) 250 एमएम और (-) 250 एमएम दोनों के आकार के पत्थर शामिल हैं। (+) 250 एमएम आकार के पत्थरों की मात्रा घरेलू कोयला मात्रा के 1.06% तक थी। ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) के प्रावधानों के अनुसार, भुगतान में कटौती की गई है। इसलिए, इसके कारण एनटीपीसी को कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है।

(घ) : एनटीपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, एनटीपीसी बॉयलरों की तकनीकी विनिर्देशन में निर्दिष्ट जीसीवी सीमा कोयला लिंकेज प्रदान की गई संबद्ध खान/खानों के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। तदनुसार, यह सीमा कोयला संबद्धता के आधार पर परियोजना-दर-परियोजना अलग-अलग होती है। तथापि, परंपरागत रूप से बॉयलर पूर्व यूएचवी रिजिम के अनुसार, (डी) से (जी) ग्रेडों तक कोयला प्रज्वलित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। (जी) श्रेणी के कोयले के न्यूनतम बैंड से प्राप्त न्यूनतम जीसीवी लगभग 3100 किलो कैलोरी/किलोग्राम के जीसीवी के बराबर है। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों से एनटीपीसी स्टेशनों द्वारा प्राप्त किए जा रहे कोयले का जीसीवी 2500 किलो कैलोरी/किलोग्राम से 5300 किलो कैलोरी/किलोग्राम तक अलग-अलग है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एफएसए की बातचीत को एनटीपीसी स्टेशनों को 3100 किलो कैलोरी/किलोग्राम से अधिक के कोयले की आपूर्ति के मामले को छोड़कर लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है।

(ङ) : कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से मतभेदों को दूर करने के लिए निरंतर बातचीत की जा रही है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5835

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

जल विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

**5835. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) गत वर्ष और चालू पंचवर्षीय योजना अवधियों में केन्द्र सरकार द्वारा संस्वीकृत जल विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत वर्ष और चालू पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार को प्राप्त जल विद्युत परियोजनाओं संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) इन प्रस्तावों के प्रत्येक प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) लंबित प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जल विद्युत नीति, 2008 के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं का आबंटन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार केवल वित्तीय दृष्टिकोण से और वह भी केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) द्वारा स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिए ही, मंजूरी प्रदान करती है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत 944 मेगावाट की क्षमता की 4 जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में वित्तीय मंजूरियां प्रदान की हैं। ब्यौरे अनुबंध-I पर हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) वर्तमान नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार जल विद्युत परियोजनाओं को केवल तकनीकी सहमति प्रदान करता है। तदनुसार, पिछले वर्ष और वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान सीईए में संस्वीकृति के लिए 33020 मेगावाट की क्षमता वाली 73 जल परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से, 29 डीपीआर (17186 मेगावाट) को सहमति दे दी गई। 18 डीपीआर (7803 मेगावाट) की जांच की जा रही है, 4 डीपीआर (581 मेगावाट) जो अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं की संवीक्षा की जा रही है और 22 डीपीआर (7450 मेगावाट) कमियों के कारण विकासकर्ताओं को वापस कर दी गई हैं। इनके ब्यौरे क्रमशः अनुबंध-II, अनुबंध-III, अनुबंध-IV और अनुबंध-V पर दिए गए हैं।

(ङ) : सीईए, जल विद्युत परियोजनाओं/स्कीमों को संपूर्ण और पर्याप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर और परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए सहमति प्रदान करने का प्रयास करता है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5835 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

केंद्रीय क्षेत्र में सीईए द्वारा सहमति प्रदान की गई और सीसीईए अनुमोदन प्राप्त की गई जल विद्युत स्कीम (2007-08 से आगे)

क्रम सं.	स्कीम	एजेंसी	सं. X मेगावाट	आईसी (मेगावाट)	सीईए सहमति	सीसीईए
	जम्मू एवं कश्मीर					
1	किशनगंगा	एनएचपीसी	3x110	330	31.08.05	20.07.2007 14.01.2009
	उत्तराखण्ड					
2	विष्णुगाड पीपलकोटि	टीएचडीसी	4x111	444	21.09.06	21.08.2008
	अरुणाचल प्रदेश					
3	पारे	नीपको	2x55	110	24.09.07	04.12.2008
	मिजोरम					
4	तुरियल	नीपको	2x30	60	27.06.97	14.01.2011**
	कुल			<b>944</b>		

\*\* संशोधित लागत अनुमान

\*\*\*\*\*

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

2007-08 से सीईए द्वारा सहमति जल विद्युत स्कीमों की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता		प्राप्ति की तिथि	सीईए की स्वीकृति की तारीख
					यूनिटे x मेगावाट	मेगावाट		
1	पारे	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	नीपको	2x55	110	06/07	24.09.2007
2	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	12x250	3000	06/07	23.01.2008
3	गुंडिया	केरल	राज्य	केपीसीएल	1x200	200	3/08	25.04.2008
4	सिंगौली भटवारी	उत्तराखण्ड	निजी	एलएनटी	3x33	99	10/07	11.07.2008
5	अलकनंदा	उत्तराखण्ड	निजी	जीएमआर	3x100	300	01/08	08.8.2008
6	रूपसियाबगर खसियाबारा	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	एनटीपीसी	3x87	261	10/07	16.10.2008
7	डेम्बे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एडीपीएल	5x342+1x40	1750	11/09	20.11.2009
8	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	केएसकेडीएचएल	2x60	120	06/09	04.12.2009
9	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएपीएल	9x300	2700	08/09	16.02.2010
10	तीस्ता-IV	सिक्किम	केंद्रीय	एनएचपीसी	4x130	520	12/09	13.05.2010
11	कुटेहर	हिमाचल प्रदेश	निजी	एसडब्ल्यूईपीएल	3x80	240	08/09	31.08.2010
12	बागलीहर - II	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	3x150	450	05/10	29.12.2010
13	सैज	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	2x50	100	09/09	29.12.2010
14	पनान	सिक्किम	निजी	एचएचपीएल	4x75	300	12/09	07.03.2011
15	नाफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएनईएल	2x60	120	08/10	11.02.2011
16	नियामजांग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	बीईएल	6x130	780	07/10	24.03.2011
17	कोलोडाइन स्टेज-II	मिजोरम	केंद्रीय	एनटीपीसी	4x115	460	02/10	14.09.2011
18	तवांग स्टेज- I	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	3x200	600	06/10	10.10.2011
19	तवांग स्टेज- II	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	एनएचपीसी	4x200	800	05/10	22.09.2011
20	व्यासी	उत्तराखण्ड	राज्य	यूजेवीएनएल	2x60	120	07/10	25.10.2011
21	इंदिरासागर (पोलावरम)	आंध्र प्रदेश	राज्य	एपजेंको	12x80	960	10/09	21.02.2012
22	बजोली होली	हिमाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	3x60	180	11/09	30.12.2011
23	टाटो-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	टीएचपीपीएल	4x175	700	9/10	22.05.2012
24	देवसरी/एसजेवीएनएल	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3x84	252	10/11	07.08.2012
25	शोंगटोंग करछम/एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश/किन्नौर	राज्य	एचपीपीसीएल	3 x 150	450	01/11	16.08.2012
26	रत्ले/जीवीकेआरएचईपीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर	निजी	जीवीकेआरएचईपीपीएल	4x205+1x30	850	05/12	19.12.2012
27	गोंगरी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	डीईपीएल	2x72	144	07/11	04.02.2013
28	मियार	हिमाचल प्रदेश	निजी	एमएचपीसीएल	3x40	120	04/11	07.02.2013
29	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएपीएल	4x125	500	01/12	10.04.2013
	<b>कुल</b>	<b>29</b>				<b>17186</b>		

टिप्पणी: उपर्युक्त के अतिरिक्त, अरुणाचल प्रदेश में 3097 मेगावाट की ईटालिन जल विद्युत परियोजना के एक डीपीआर को दिनांक 31.01.2013 को आयोजित बैठक में सहमति हेतु स्वीकार कर लिया गया है। सहमति पत्र जारी किया जाना शेष है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

जांच के अधीन जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना/ क्षेत्र/ राज्य/ सं. X मेगावाट	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	इकाईयां X मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्राप्ति का महीना
1	तलौंग लोंडा एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	3x75	225	09/10
2	सियोम एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीपीएल	6x166.67	1000	09/10
3	नेइंग एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	डीएससीएनपीपीएल	4x250	1000	05/11
4	सेली एचईपी	हिमाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीसीएल	4x100	400	12/11
5	डागामारा एचईपी	बिहार	राज्य	बीएसएचपीसीएल	17x7.65	130	04/12
6	दिखू एचईपी	नागालैंड	निजी	एमईएसपीसीएल	3x62	186	04/12
7	कलाई -II एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	कलाई पीपीएल	6x200	1200	04/12
8	छतरू एचईपी	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएससी	3x42	126	04/12
9	डेम्बे अपर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एलयूपीएल	5x206+1x50	1080	07/12
10	तगुरशिट एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एलटीएचपीएल	3x24.67	74	07/12
11	कीरू एचईपी	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपी	4x165	660	08/12
12	न्यू गेंडरवाल	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	3x31	93	10/12
13	जेलम टामक	उत्तराखण्ड	केंद्रीय	टीएचडीसीआईएल	3x36	108	12/12
14	बवाला नंद प्रयाग	उत्तराखण्ड	राज्य	यूजेवीएनएल	4x75	300	08/12
15	सच खास	हिमाचल प्रदेश	निजी	एल एंड टी एचएचपीएल	3x86.67+1x7	267	01/13
16	न्यूकचरोंग चू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएनसीपीसीएल	3x32	96	01/13
17	किशी-I	मेघालय	निजी	एथेना क्युंशी प्रा. लि.	2x135	270	02/13
18	लूहरी	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3x196	588	03/13
	कुल					7803	

**टिप्पणी : किरथाय-I** – किरथाय-I (4x95+1x10=390 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना के डीपीआर के लिए प्रस्तुतीकरण बैठक दिनांक 04.03.13 को आयोजित की गई थी। सीईए, सीडब्ल्यूसी एवं जीएसआई में मूल्यांकन के अंतर्गत डीपीआर को लिए जाने पर निर्णय सीडब्ल्यूसी द्वारा उठाए गए मामलों पर विचार-विमर्श के पश्चात लिया जाएगा।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

जांच की स्वीकृति के लिए संवीक्षाधीन जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर

क्रम सं.	परियोजना/ क्षेत्र/ राज्य/ सं. X मेगावाट	राज्य	क्षेत्र	एजेंसी	इकाईयां X मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्राप्ति का महीना
1	उमानघोट एचईपी	मेघालय	राज्य	एमईईसीएल	3x80	240	03/13
2	लोअर कोपिली	असम	राज्य	एपीजीसीएल	2x55+1x5+ 2x2.5	120	03/13
3	जिमलियेग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसकेआईपीएल	2x40	80	04/12
4	रेगम	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसकेआईपीएल	3x47	141	04/12
	कुल					581	

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

\*\*\*\*\*

परियोजना प्राधिकरणों को वापस की गई जल विद्युत परियोजनाओं की सूची  
(वर्ष 2007-08 से आगे)

क्रम सं.	परियोजना	राज्य	क्षेत्र	आईसी (मेगावाट)	प्राप्ति की तिथि	वापसी की तिथि
1	किस्थाय-II	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	990	04/11	09/12
2	क्वार एचईपी	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम	560	07/2012	10/12
3	भैंरोघाटी	उत्तराखण्ड	राज्य	381	01/08	02/08
4	मोरी हनोली	उत्तराखण्ड	निजी	64	12/09	01/10
5	बोगुडियार सरकारी भ्योल	उत्तराखण्ड	निजी	146	04/10	09/10
6	टियुनी प्लासू	उत्तराखण्ड	राज्य	72	08/10	10/10
7	नंद प्रयाग लंगासू	उत्तराखण्ड	राज्य	100	03/11	04/11
8	इंटीग्रेटेड कशांग स्टेज-I	हिमाचल प्रदेश	राज्य	130	10/07	08/08
9	बारा बांगल	हिमाचल प्रदेश	निजी	200	06/11	06/11
10	चेंगो यांगथांग	हिमाचल प्रदेश	निजी	140	4/11	12/11
11	सिवसमुद्रम	कर्नाटक	राज्य	345	04/2012	05/12
12	कुंदहा पीएसपी	तमिलनाडु	राज्य	500	11/06	12/07
13	तीस्ता स्टेज-II	सिक्किम	निजी	480	03/07	05/07
14	लेथांग	सिक्किम	निजी	96	01/10	04/10
15	लोअर कोपिली	असम	राज्य	150	5/10	6/10
16	करबी लंगपी (यू.बोरपानी)	असम	राज्य	60	11/08	12/08
17	यामने स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	84	03/11	05/11
18	हीओ	अरुणाचल प्रदेश	निजी	210	04/11	05/11
19	हुटोंग -II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200	02/12	05/12
20	कलाई-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1352	01/12	05/12
21	पेमाशेलफू एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	90	07/11	02/13
22	सिसिरी एचईपी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	100	12/09	02/13
	कुल: 22 संख्या			7450		

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5848

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण

5848. श्रीमती मीना सिंह:

डॉ. भोला सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बैंक देशभर में नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए ऋण नहीं प्रदान कर रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;
- (ग) इस संबंध में विद्युत मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और यदि इस उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान नहीं किया जाता है तो नई विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निधि किस प्रकार प्रदान की जाएगी;
- (घ) विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में वित्तीय सहायता की अनुपलब्धता के क्या परिणाम हैं; और
- (ङ) देशभर में लगाई जाने वाली नई विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) : उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5851

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

ताप विद्युत परियोजनाओं की निगरानी

5851. श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार बढ़ते हुए प्रदूषण और सीमित कोयला भंडारों के मद्देनजर देश की ताप विद्युत के उत्पादन की निगरानी कर रही है/करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पर्यावरण प्रदूषण के कारण ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के विरोध के मामले सरकार के सामने आए हैं और सरकार देश में ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने पर पुनर्विचार कर रही है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : यद्यपि लक्षित उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र की निगरानी की जा रही है, तथापि निर्धारित मानकों के अनुसार ताप विद्युत संयंत्र से प्रदूषण में कमी लाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं। देश भर में ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत स्टेनों को कोयले की आपूर्ति की भी गहन निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ) : पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ताप विद्युत स्टेनों को स्थापित करने के विरुद्ध कुछ विरोध हुए हैं। आंध्र प्रदेश (एपी) के श्रीकाकुलम जिले में सोमपेटा में मैसर्स नागार्जुन कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एनसीसी) के ताप विद्युत संयंत्र के ऐसे ही मामले में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ईएंडएफ) ने

पर्यावरण स्वीकृति रोक दी थी और स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता (आईपीपी) को परियोजना के विकास के संबंध में यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखने की सलाह दी । विकासकर्ता ने परियोजना के स्थान को श्रीकाकुलम से नेल्लोर जिले में स्थानान्तरित कर दिया है । आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में काकरापल्ली में स्थित मैसर्स ईस्ट कोस्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की विद्युत परियोजना से संबंधित एक अन्य मामले में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आईपीपी को निर्माण कार्य रोक देने का निर्देश दिया था । परियोजना की समीक्षा के आधार पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने परियोजना को पर्यावरणीय संस्वीकृति बहाल कर दी थी ।

**(ड) :** सभी ताप विद्युत संयंत्र उच्च दक्षता के इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी) और पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन आक्साइड की उत्सर्जन को सीमित करने के लिए निम्न एनओएक्स बर्नर से सुसज्जित हैं । 275 मीटर तक के हाई स्टेक्स को सल्फर डाई-आक्साइड के उत्सर्जन प्रभाव से सीमित करने के लिए अनुबंधित किया जा रहा है । गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में, सल्फर डाई-आक्साइड उत्सर्जन को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन उपस्कर को लगाने की शर्त रखी है। संस्थापन के चौथे वर्ष से 100 प्रतिशत फ्लोइंग उपयोग की भी शर्त रखी जा रही है ताकि राख के भूमि पर निपटान को सीमित किया जा सके ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5852

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

किसानों को विद्युत

†5852. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का देश में बार-बार के सूखे और बाढ़ के मद्देनजर किसानों को रियायती दरों पर विद्युत प्रदान करने का कोई कार्यक्रम है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या केंद्र सरकार का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में विद्युत संकट से निपटने हेतु केंद्रीय ग्रिड से राज्य ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- विद्युत के समवर्ती सूची का विषय होने के कारण, राज्य में कृषि सहित उपभोक्ताओं/क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों में विद्युत के वितरण और आपूर्ति का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है। केंद्र सरकार विद्युत की समग्र अपर्याप्तता में कमी लाने के लिए केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से विद्युत को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित करती है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) को किसानों सहित उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिक्री का प्रशुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 65 में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ता की किसी श्रेणी को किसी मामले में रियायत देना चाहती है तो राज्य सरकार संबंधित यूटिलिटी/लाइसेंसियों को उद्देश्य के लिए अपेक्षित पूरी राशि का भुगतान करेगी।

(ग) और (घ)- दक्षिणी ग्रिड पहले ही गाजुवाका (1000 मेवा), चंद्रपुर (1000 मेवा) में 2 एचवीडीसी (हाई वोल्टेज डारेक्ट करंट) बैक टू बैक स्टेशनों और तालचेर-कोलार एचवीडीसी बाईपोल (2000/2500 मेवा), कुल 4000 मेवा से अधिक, के माध्यम से सिंक्रोनीयसली केंद्रीय ग्रिड से जोड़ा गया है और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिणी राज्यों में विद्युत आपूर्ति पहले ही कर रहा है।

केंद्रीय ग्रिड से दक्षिणी ग्रिड में विद्युत की अतिरिक्त आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए कई पारेषण लाइनों को शुरू किया गया है, जिसमें रायचूर (कर्नाटक) से शोलापुर (महाराष्ट्र) तक की 765 केवी अतिरिक्त हाई वोल्टेज (ईएचवी) ए सी पारेषण लाइन के 2 एकल सर्किटों (2x एस/सी) की स्थापना करने के द्वारा सिंक्रोनीयस इंटरकनेक्शन भी शामिल है। पावर ग्रिड द्वारा शुरू की गई पारेषण लाइनों का ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न किया गया है।

\*\*\*\*\*



लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5852 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

पावर ग्रिड द्वारा शुरू किए गए पारेषण घटक

क्रम सं.	प्रणाली/लाइन का नाम
1.	रायचूर-शोलापुर 765 केवी एस/सी अंतर-क्षेत्रीय लाइन
2.	विजयवाड़ा-नेल्लोर-थिरुवल्लेम-मेलाकोट्टाययूर 400 केवी, डी/सी लाइन 400 केवी होसुर उपकेंद्र पर मौजूदा 400 केवी सोमनहाल्ली-सेलम का एलआईएलओ
3.	सोमनहाल्ली-सेलम (न्यू) 400 केवी, डी/सी लाइन
4.	कुरनूल-थिरुवल्लेम 765 केवी, डी/सी लाइन
5.	नरेंद्र (न्यू कुडगी)-कोल्हापुर (न्यू) 765 केवी डी/सी लाइन (आरंभ में 400 केवी स्तर पर आवेशित)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

.....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5856

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग

5856. श्री महेश जोशी:

श्री जी. एम. सिद्धेश्वर:

श्री पी. करुणाकरन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश के घरेलू कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत की मांग और उपलब्धता में कमी का क्षेत्र और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इन क्षेत्रों में विद्युत की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है और देश में भविष्य में इन क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता का पता लगाने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में विद्युत की आवश्यकता पूरी करने हेतु क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है; और
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान औद्योगिक और कृषि क्षेत्र हेतु राज्य-वार कितनी विद्युत प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- संविधान में, विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, किसी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों (जिनमें घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं) को उपलब्ध कराई जाने वाली विद्युत की प्राथमिकता और मात्रा का निर्धारण और विनियमन संबंधित राज्य सरकार/यूटिलिटी द्वारा समय समय पर विद्युत की मांग और उस राज्य को विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। अप्रैल 2012 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान देश में ऊर्जा और अधिकतम कमी क्रमशः 8.7% और 9.0% थी। राज्य-वार विवरण अनुबंध-। पर दिया गया है।

(ख)और(ग)- जी हाँ। 18वीं इलैक्ट्रिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में विद्युत की क्षेत्रवार आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

18वीं ईपीएस(एमयी) के अनुसार 12वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में इलैक्ट्रीकल ऊर्जा की खपत का पूर्वानुमान अनुबंध-II, अनुबंध-III और अनुबंध-रू में दिया गया है।

(घ)और (ङ)- इलैक्ट्रिसिटी एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य में विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति और वितरण की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/राज्य में पावर यूटिलिटीज की होती है । राज्य में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, जिनमें घरेलू, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र सम्मिलित हैं, को विद्युत की आपूर्ति की प्राथमिकताओं का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं-

- (i) 12वीं योजनावधि(2012-2017) के दौरान 88,537 मेगावाट की प्रस्तावित क्षमता वृद्धि ।
- (ii) चलाई जा रही उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि का कड़ाई से अनुवीक्षण ।
- (iii) 4,000 मेगावाट की प्रत्येक अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं का विकास ।
- (iv) संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से विद्युत उपकरणों की घरेलू निर्माण क्षमता का संवर्धन ।
- (v) मौजूदा उत्पादन क्षमता का इष्टतम उपयोग करने के लिए हाइड्रो, तापीय, न्यूक्लीयर और गैस आधारित विद्युत केंद्रों का समन्वित प्रचालन और अनुरक्षण ।
- (vi) तापीय विद्युत केंद्रों को स्वदेशी स्रोतों से कोयला आपूर्तियों में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत युटिलिटीज द्वारा कोयला के आयात पर बल देना ।
- (vii) पुरानी और अदक्ष उत्पादन इकाईयों पुनरूद्धार, आधुनिकीकरण और समय सीमा बढ़ाना ।
- (viii) उपलब्ध विद्युत का इष्टतम उपयोग करने के लिए अंतर-क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण ।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5856 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

2012-13 के दौरान राज्यवार ऊर्जा एवं उच्चतम कमी

राज्य / प्रणाली/ क्षेत्र	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013				अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013			
	आवश्यकता ( मियू)	उपलब्धता ( मियू)	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-) ( मियू)	( ऽ )	व्यस्ततम मांग (मेगावाट)	व्यस्ततम उपलब्धता (मेगावाट)	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-) (मेगावाट)	( ऽ )
चंडीगढ़	1,637	1,637	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	26,078	25,940	-138	-0.5	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	41,407	38,209	-3,198	-7.7	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	8,982	8,735	-247	-2.7	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू कश्मीर	15,410	11,558	-3,852	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	48,600	45,995	-2,605	-5.4	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	55,524	53,853	-1,671	-3.0	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	91,647	76,446	-15,201	-16.6	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	11,331	10,709	-622	-5.5	1,759	1,674	-85	-4.8
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>300,616</b>	<b>273,082</b>	<b>-27,534</b>	<b>-9.2</b>	<b>45,860</b>	<b>41,790</b>	<b>-4,070</b>	<b>-8.9</b>
छत्तीसगढ़	17,098	16,799	-299	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	93,209	93,061	-148	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	51,117	46,163	-4,954	-9.7	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	122,989	118,977	-4,012	-3.3	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,940	1,809	-131	-6.8	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	4,460	4,287	-173	-3.9	629	629	0	0.0
गोवा	3,116	3,042	-74	-2.4	524	475	-49	-9.4
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>293,929</b>	<b>284,138</b>	<b>-9,791</b>	<b>-3.3</b>	<b>40,075</b>	<b>39,486</b>	<b>-589</b>	<b>-1.5</b>
आंध्र प्रदेश	99,785	82,254	-17,531	-17.6	14,031	11,630	-2,401	-17.1
कर्नाटक	66,295	57,065	-9,230	-13.9	10,124	8,761	-1,363	-13.5
केरल	21,234	20,382	-852	-4.0	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	92,150	76,009	-16,141	-17.5	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पुडुचेरी	2,328	2,288	-40	-1.7	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	36	36	0	0	8	8	0	0
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>281,792</b>	<b>237,998</b>	<b>-43,794</b>	<b>-15.5</b>	<b>37,638</b>	<b>31,586</b>	<b>-6,052</b>	<b>-16.1</b>
बिहार	15,410	12,835	-2,575	-16.7	2,295	1,784	-511	-22.3
झीवीसी	17,433	16,461	-972	-5.6	2,606	2,525	-81	-3.1
झारखंड	7,042	6,753	-289	-4.1	1,189	1,097	-92	-7.7
ओडिशा	25,152	24,318	-834	-3.3	3,968	3,694	-274	-6.9
प. बंगाल	42,123	41,834	-289	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	413	413	0	0.0	95	95	0	0.0
अंदमान निकोबार	241	186	-55	-23	48	48	0	0
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>107,573</b>	<b>102,614</b>	<b>-4,959</b>	<b>-4.6</b>	<b>16,655</b>	<b>15,415</b>	<b>-1,240</b>	<b>-7.4</b>
अरुणाचल प्रदेश	585	550	-35	-6.0	116	114	-2	-1.7
असम	6,518	6,071	-447	-6.9	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	573	542	-31	-5.4	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,827	1,606	-221	-12.1	334	330	-4	-1.2
मिजोरम	405	377	-28	-6.9	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	567	536	-31	-5.5	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	1,116	1,061	-55	-4.9	229	228	-1	-0.4
<b>उत्तर पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>11,590</b>	<b>10,742</b>	<b>-848</b>	<b>-7.3</b>	<b>1,998</b>	<b>1,864</b>	<b>-134</b>	<b>-6.7</b>
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>995,500</b>	<b>908,574</b>	<b>-86,926</b>	<b>-8.7</b>	<b>135,453</b>	<b>123,294</b>	<b>-12,159</b>	<b>-9.0</b>

६ लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्टैंड एलोन प्रणाली है, इनके यहां विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का भाग नहीं है। टिप्पणी- विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम पूर्ति एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं (पारिषद हानियों सहित)। शुद्ध निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खपत के खाते में दर्शाया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5856 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

18वीं ईपीएस(मि.यू.) के अनुसार 12वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा खपत का अनुमान

राज्य/यूटीलिटीज	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
दिल्ली	34	32	31	29	28
हरियाणा	10747	11282	11843	12433	13053
हिमाचल प्रदेश	40	41	43	44	46
जम्मू कश्मीर	288	322	361	404	453
पंजाब	14801	16420	18194	20138	22266
राजस्थान	16654	17618	18626	19678	20777
उत्तर प्रदेश	12022	14192	16746	19748	23279
उत्तराखंड	335	349	363	377	392
चंडीगढ़	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>54921</b>	<b>60258</b>	<b>66208</b>	<b>72854</b>	<b>80295</b>
गोवा	26	29	32	35	38
गुजरात	15700	16978	18335	19740	21216
छत्तीसगढ़	2342	2538	2752	2959	3157
मध्य प्रदेश	9054	10049	11153	12378	13738
महाराष्ट्र	15867	16845	17885	18990	20164
दमन एवं दीव	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7
दादर नागर हवेली	0	0	0	0	0
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>42991</b>	<b>46441</b>	<b>50158</b>	<b>54105</b>	<b>58316</b>
आंध्र प्रदेश	23938	25733	27667	29750	31994
कर्नाटक	15178	16163	17052	18237	19420
केरल	296	307	318	329	341
तमिलनाडु	13261	13713	14141	14608	15087
पुडुचेरी	90	93	95	98	100
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>52762</b>	<b>56009</b>	<b>59273</b>	<b>63022</b>	<b>66942</b>
बिहार	1208	1389	1597	1789	2003
झारखंड	78	83	88	93	99
ओडिशा	181	198	217	239	264
प. बंगाल	1737	1902	2083	2281	2497
सिक्किम	0	0	0	0	0
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>3204</b>	<b>3571</b>	<b>3984</b>	<b>4401</b>	<b>4863</b>
असम	78	86	94	104	114
मणिपुर	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
मेघालय	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
नागालैंड	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	46	50	53	58	62
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
मिजोरम	6	8	11	14	17
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>132</b>	<b>146</b>	<b>161</b>	<b>177</b>	<b>195</b>
अंदमान निकोबार	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>154010</b>	<b>166425</b>	<b>179784</b>	<b>194559</b>	<b>210611</b>

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5856 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

18वीं ईपीएस(मि.यू.) के अनुसार 12वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा खपत का अनुमान

राज्य/यूटीलिटीज	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
दिल्ली	11027	11694	12402	13152	13948
हरियाणा	6009	6625	7304	8053	8878
हिमाचल प्रदेश	1332	1413	1498	1589	1686
जम्मू कश्मीर	1954	2189	2451	2746	3075
पंजाब	8770	9449	10180	10969	11818
राजस्थान	8706	10050	11602	13393	15461
उत्तर प्रदेश	24545	28063	32084	36682	41938
उत्तराखंड	1846	2031	2194	2369	2559
चंडीगढ़	571	606	643	682	723
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>64761</b>	<b>72119</b>	<b>80358</b>	<b>89634</b>	<b>100086</b>
गोवा	771	833	900	972	1050
गुजरात	11043	12117	13295	14588	16007
छत्तीसगढ़	3451	3805	4194	4624	5097
मध्य प्रदेश	7713	8909	10290	11885	13727
महाराष्ट्र	21966	23302	24718	26221	27815
दमन एवं दीव	67	79	92	107	125
दादर नागर हवेली	77	85	93	103	113
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>45089</b>	<b>49128</b>	<b>53582</b>	<b>58500</b>	<b>63934</b>
आंध्र प्रदेश	17610	19578	21767	24201	26907
कर्नाटक	10105	11449	12971	13895	14884
केरल	8117	8651	9219	9826	10472
तमिलनाडु	19923	21681	23559	25563	27701
पुडुचेरी	617	654	692	732	773
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>56372</b>	<b>62013</b>	<b>68209</b>	<b>74217</b>	<b>80737</b>
बिहार	3774	4755	5991	7446	9148
झारखंड	3225	3748	4258	4746	5290
ओडिशा	5654	6169	6740	7219	7731
प. बंगाल	10472	11591	13103	14845	16859
सिक्किम	106	115	128	145	155
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>23231</b>	<b>26378</b>	<b>30221</b>	<b>34401</b>	<b>39183</b>
असम	2581	2805	3003	3216	3443
मणिपुर	226	276	336	410	499
मेघालय	273	290	307	326	345
नागालैंड	237	266	288	311	336
त्रिपुरा	389	437	491	552	620
अरुणाचल प्रदेश	70	81	93	107	123
मिजोरम	213	255	306	367	440
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>3989</b>	<b>4410</b>	<b>4824</b>	<b>5287</b>	<b>5806</b>
अंदमान निकोबार	107	116	126	137	150
लक्षद्वीप	23	24	25	27	28
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>193571</b>	<b>214189</b>	<b>237347</b>	<b>262202</b>	<b>289924</b>

|||||||

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5856 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

18वीं ईपीएस(मि.यू.) के अनुसार 12वीं योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा खपत का अनुमान

राज्य/यूटीलिटिज	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
दिल्ली	3503	3782	4082	4407	4758
हरियाणा	9988	11480	13183	15127	17347
हिमाचल प्रदेश	4702	4992	5297	5621	5964
जम्मू कश्मीर	991	1110	1243	1392	1560
पंजाब	13584	14948	16450	18102	19922
राजस्थान	10857	12231	13764	15476	17388
उत्तर प्रदेश	16804	19000	21463	24226	27324
उत्तराखंड	4510	4786	5070	5372	5691
चंडीगढ़	325	343	361	381	402
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>65264</b>	<b>72668</b>	<b>80914</b>	<b>90106</b>	<b>100355</b>
गोवा	1694	1835	1987	2151	2327
गुजरात	28242	30706	33388	36308	39486
छत्तीसगढ़	6273	6769	7303	7876	8479
मध्य प्रदेश	8297	9505	10889	12475	14292
महाराष्ट्र	39703	43140	46935	51153	58817
दमन एवं दीव	4288	4545	4818	5108	5415
दादर नागर हवेली	1658	1765	1879	2000	2130
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>90153</b>	<b>98266</b>	<b>107198</b>	<b>117071</b>	<b>130948</b>
आंध्र प्रदेश	21530	23539	25738	28144	30777
कर्नाटक	10122	11130	12238	13458	14798
केरल	4535	4760	4995	5244	5504
तमिलनाडु	27698	30149	32811	35700	38837
पुडुचेरी	1317	1347	1379	1412	1446
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>65203</b>	<b>70926</b>	<b>77162</b>	<b>83957</b>	<b>91363</b>
बिहार	3199	3977	4943	5468	6049
झारखंड	12092	12918	13803	14749	15762
ओडिशा	12902	13655	14203	14885	15563
प. बंगाल	20943	22817	24887	27165	29672
सिक्किम	42	46	50	55	64
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>49178</b>	<b>53413</b>	<b>57886</b>	<b>62322</b>	<b>67108</b>
असम	1417	1544	1676	1816	1962
मणिपुर	54	63	71	82	95
मेघालय	842	901	970	1039	1123
नागालैंड	17	19	20	22	25
त्रिपुरा	73	83	92	103	114
अरुणाचल प्रदेश	77	87	97	109	122
मिजोरम	36	51	55	64	73
<b>पूर्वोत्तर क्षेत्र</b>	<b>2518</b>	<b>2747</b>	<b>2982</b>	<b>3236</b>	<b>3514</b>
अंदमान निकोबार	11	12	13	14	16
लक्षद्वीप	2	2	2	2	2
<b>अखिल भारतीय</b>	<b>272329</b>	<b>298034</b>	<b>326158</b>	<b>356709</b>	<b>393306</b>

|||||

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5867

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों के लिए स्वदेशी उपकरण

†5867. श्री डी.बी. चंद्रे गौडा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु स्वदेशी उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना में स्वदेशी उपकरण के प्रयोग की सीमा-निर्धारण संबंधी कोई आदेश हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना में स्वदेशी उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी हाँ ।

(ख)- 97125.3 मेगावाट की थर्मल उत्पादन क्षमता और 13419 मेगावाट की हाइड्रो क्षमता, जो 12वीं योजना तथा उसके बाद संभावित लाभ देने के लिए निर्माणाधीन हैं, में से कुल 56185.3 मेगावाट की थर्मल परियोजनाएं तथा कुल 11634 मेगावाट की हाइड्रो परियोजनाएं स्वदेशी उपकरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्तित उपकरणों के साथ स्थापित की जा रही हैं ।

(ग) से (ङ)- वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन विशाल विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए, सुपरक्रिटिकल विद्युत उपकरण निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है । भेल ने सुपरक्रिटिकल बॉयलर और टरबाइन जेनरेटर्स के निर्माण के लिए क्रमशः मैसर्स एल्सटोम(फ्रांस) एवं साइमन्स(जर्मनी) के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करार किया है । सुपरक्रिटिकल उपकरणों के अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माताओं के साथ प्रौद्योगिकी की व्यवस्था करने सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स और टरबाइन जेनरेटर्स के विनिर्माण के लिए देश में मित्सुबिशी के साथ एल एंड टी, एल्सटोम के साथ भारत फोर्ज, तोशिबा के साथ जेएसडब्ल्यू, हिटैची के साथ बीजीआर, एनसाल्डो के साथ गैमन जैसे अनेक संयुक्त उपक्रम स्थापित किए गए हैं । दूसान अपनी खुद की क्षमता पर अपनी निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए आया है ।

सुपरक्रिटिकल यूनितों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, एनटीपीसी और डीवीसी के लिए 666 मेगावाट प्रत्येक की 11 सुपरक्रिटिकल यूनितों तथा एनटीपीसी के लिए 800 मेगावाट, प्रत्येक

की 9 सुपरक्रिटिकल यूनिटों के थोक आदेश सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। ये थोक आदेश पूर्व-सहमत चरणबद्ध घरेलू विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) के अनुसार अनिवार्य शर्त वाले हैं। पीएमपी के लिए रोड मैप भी बॉयलर्स और टरबाइन जेनरेटर्स के लिए निर्माण सुविधाएं स्थापित करने के माइलस्टोन दर्शाते हुए परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त, सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के स्वदेशी निर्माताओं की सहायता करने की दृष्टि से, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केंद्रीय/राज्य क्षेत्र विद्युत उत्पादक कंपनियों/यूटिलिटियों को सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स और टरबाइन जेनरेटर्स के लिए अक्टूबर, 2012 तक आमंत्रित की जाने वाली बोलियों में पीएमपी को स्थापित करने की शर्त शामिल करने की सलाह दी थी।

इसके अतिरिक्त, घरेलू विद्युत उपकरण निर्माण उद्योगों द्वारा उच्चतर ब्याज दरों, स्थानीय करों और अवसंरचनात्मक कमियों के कारण झेली गई असुविधाओं की क्षतिपूर्ति करने, विदेशी विक्रेताओं की तुलना में घरेलू उपकरण निर्माण उद्योग को समान अवसर उपलब्ध करवाने तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्म परिपूर्णता को बढ़ावा देने के क्रम में, सरकार ने विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सभी श्रेणियों यथा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी सहित) तथा गैर-मेगा विद्युत परियोजनाओं के आयातित उपकरणों पर 5% की दर से सीमा शुल्क, 12% की दर से काउंटर वेलिंग शुल्क(सीवीडी) (समय-समय पर घरेलू उद्योग पर यथा लागू और उत्पाद शुल्क के बराबर एवं 4% की दर से विशेष अतिरिक्त शुल्क(एसएडी) लगाया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5871

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत-उत्पादन का लक्ष्य

†5871. श्री गजानन ध. बाबर:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री अधलराव पाटील शिवाजी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने में कई बाधाएं/अवरोध आ रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में आ रही ऐसी बाधाओं को दूर करने तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा कौन-से कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग)- विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए 930 बीयू के विद्युत उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 911.65 बीयू प्राप्ति हुई है जोकि लक्ष्य का 98 प्रतिशत है। लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के प्रमुख कारणों में कम वर्षा के कारण जलविद्युत परियोजनाओं से कम उत्पादन तथा कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र का चालू न होना शामिल है।

सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान विद्युत उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

- पुराने विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण।
- विद्युत क्षेत्र के लिए कोयला और गैस उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- अवरोध क्षेत्रों की पहचान करने और उनका तीव्रता से समाधान करने, ताकि परियोजनाओं को समय पर चालू किया जा सके, के लिए माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव, विद्युत मंत्रालय और अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा उच्च स्तर पर विद्युत परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की जाती है।

\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5875

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

बृहत्स्तरीय विद्युत परियोजना संबंधी नीति

†5875. श्री आनंदराव अडसुलः

श्री गजानन ध. बाबरः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बृहत् विद्युत परियोजनाओं को अतिरिक्त रियायत देने के लिए वर्तमान बृहत् विद्युत परियोजना नीति को सुसंगत बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, उच्च ब्याज दरों, स्थानीय करों तथा अवसंरचनात्मक अपर्याप्तताओं के कारण घरेलू विद्युत उपस्कर विनिर्माण उद्योग को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए, विदेशी विक्रेताओं की तुलना में घरेलू विद्युत उपस्कर निर्माण उद्योग को समान कार्य अवसर देने तथा इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने 19.07.2012 को 5% की दर से सीमा शुल्क, 12% की दर से सीवीडी (जैसा लागू हो तथा घरेलू उद्योग पर समय-समय पर लागू उत्पाद शुल्क के बराबर समान) एवं 4% की दर से एसएडी लगाने का निर्णय लिया है, जोकि विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की सभी श्रेणियों अर्थात् मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी सहित) तथा गैर-मेगा पावर प्रोजेक्ट्स के आयातित उपस्करों पर समान रूप से लागू होगा। इस प्रकार, बृहत् स्तरीय विद्युत नीति मेगा पावर पॉलिसी को उन परियोजनाओं को छोड़कर, जहां 19.7.2012 से पूर्व मेगा/अनंतिम मेगा प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किया गया था, नई परियोजनाओं के लिए वापस ले लिया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5876

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के  
अंतर्गत योजनाएं

**5876. श्री जगदानंद सिंह:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किया गया कार्य वर्ष 2012-13 के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम था;
- (ख) यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण योजनागत परिव्यय के अंतर्गत अधिकांश निधियां व्यपगत हो गई थीं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य में प्रगति के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की संभावना वाले गांवों तथा परिवारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित 6000 गैर विद्युतीकृत गाँवों के लक्ष्य की तुलना में 2587 गाँवों में कार्य पूरे किए जा चुके हैं। संचयी रूप से, 1,10,886 यूई गाँवों में से 1,07,083 (97%) यूई गाँवों में कार्य पूरे किए जा चुके हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाएं निम्नवत हैं :-

- (i) विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में काफी दुर्गम क्षेत्र, खराब मौसम और पहुँच मार्ग की समस्या।
- (ii) नक्सल प्रभावित राज्यों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गंभीर कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएँ।
- (iii) मणिपुर में उखरूल और सेनापति जिलों में संविदा संबंधी मुकदमें माननीय उच्च न्यायालय गुवाहटी में लम्बित हैं।

(ग) और (घ) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किसी राज्य/जिले के लिए निधियों का कोई अपफ्रंट आबंटन नहीं है। मंजूर परियोजनाओं के लिए निधियाँ पूर्व किश्त/(किश्तों) की राशि के उपयोग और अन्य शर्तों को

पूरा करने के आधार पर किशतों में जारी की जाती हैं । अतः, निधियों के व्यपगत होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) : विद्युत मंत्रालय ने 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव किया है । शेष गाँवों तथा ग्रामीण घरों को, 12वीं योजना में स्कीम को जारी रखने के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, 12वीं योजना के दौरान शामिल किया जाना है । आरजीजीवीवाई के अंतर्गत देश में विद्युतीकरण को तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

- (i) विद्युत मंत्रालय ने परियोजना कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को तीव्रता से दूर करने के लिए राज्य सरकारों और डिस्काम से आग्रह किया है ।
- (ii) भारत सरकार ने अन्तर्मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मँजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है ।
- (iii) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सभी राज्यों में जिला समितियों की स्थापना की गई है ।
- (iv) राज्यों से आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक आयोजित की जानी भी अपेक्षित है ।
- (v) भारत सरकार और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, सहमत समय अनुसूची के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों, संबंधित राज्य सरकारों; राज्य विद्युत यूटिलिटियों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकों का संचालन करते हैं ।
- (vi) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची विषय के रूप में " आरजीजीवीवाई की समीक्षा " हेतु जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है ।
- (vii) माननीय विद्युत मंत्री ने माननीय संसद सदस्यों को उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए, उनके अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, जहाँ आरजीजीवीवाई कार्य प्रगति में है, की प्रगति दर्शाते हुए एक पत्र लिखा है । उनसे अपने स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करने और जन प्रतिनिधियों तथा जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला सतर्कता और निगरानी समिति की बैठकों में इस पर चर्चा करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों का तीव्रता से समाधान किया जा सके ।
- (viii) जहां कहीं, वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृतियों आदि में विलंब होता है और अंतर्मंत्रालयी हस्तक्षेप अपेक्षित होता है, वहां अनिवार्य स्वीकृतियों के मुद्दे को तेजी से निपटाने करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ मामलों को उठाया जाता है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5884

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

पेरियार-फोर्ब विद्युत परियोजना

†5884. श्री के.पी. धनपालन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार का केरल की मुल्लापेरियार नदी की पेरियार-फोर्ब विद्युत परियोजना को सहायता प्रदान करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना में केरल सरकार की हिस्सेदारी के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) उक्त परियोजना से उत्पादित विद्युत से लाभान्वित होने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए "जल विद्युत संसाधनों - के पुनः आकलन अध्ययन दिसंबर, 1988" के अनुसार, केरल में "पेरियार फोर्ब" नाम की विद्युत परियोजना से कोई भी जल विद्युत योजना चिह्नित नहीं की गई है और ऐसी कोई भी योजना जांच और सर्वेक्षण के अधीन नहीं है। सीईए में पेरियार फोर्ब की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) जांच के अधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5889

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत-उत्पादन

5889. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कुछ राज्यों में विगत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत-उत्पादन बढ़ा है;
- (ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल विद्युत-उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन राज्यों के पास ज्यादा विद्युत मात्रा है वे जरूरतमंद राज्यों को विद्युत-आपूर्ति कर रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आपूर्ति की गई कुल विद्युत मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)और(ख)- जी हाँ । इन राज्यों के नाम तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल विद्युत उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा वृद्धि दर (2009-10 की तुलना में 2012-13 में ) के साथ अनुबंध पर दिया गया है ।

(ग)और(घ)- राज्य प्राथमिक तौर पर अपने संबंधित लोड उत्पादन संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं । यदि कोई कमी/अधिशेष हो तो उसे विद्युत बाजार की खुली पहुँच के माध्यम से प्रापण/विद्युत की बिक्री द्वारा पूरा किया जाता है । माँग में भिन्नता से समूचे देश में विद्युत की समग्र कमी है, राज्यों में कुछ महीनों में कुछ दिनों /ऋतुओं में अधिशेष विद्युत हो सकती है । अप्रैल, 2012 से फरवरी, 2013 (अद्यतन आंकड़ा) की अवधि के दौरान अधिशेष विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को निर्यात की गई शुद्ध ऊर्जा का राज्य-वार ब्यौरा (नवीनतम आंकड़े) नीचे दिया गया है;

क्र. सं.	राज्य	ऊर्जा निर्यात(मि.यू.)
1	हिमाचल प्रदेश	2236.82
2	जम्मू व कश्मीर	770.22
3	छत्तीसगढ़	10233.31
4	कर्नाटक	269.524
5	ओडिशा	696.88
6	सिक्किम	314.66
7	डीवीसी	3951.94

\*\*\*\*\*

## अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5889 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कुल विद्युत उत्पादन का राज्यवार, वर्षवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	क्षमता (मेगावाट) 31.03.2013 के अनुसार	उत्पादन (मि.यू) 2012-13	उत्पादन (मि.यू) 2011-12	उत्पादन (मि.यू) 2010-11	उत्पादन(मि.यू) 2009-10	2009-10 की तुलना में 2012-13 में वृद्धि का %
1	बी.बी.एम.बी	2866.3	10941.96	12459.46	11273.43	9371.32	16.76
2	दिल्ली	2548.4	10740.71	9970.69	9130	10152.83	5.79
3	हरियाणा	6411.59	25452.55	24046.48	18854.83	18390.37	38.4
4	हिमाचल प्रदेश	4883	20330.53	19160.61	15388.6	14452.32	40.67
5	जम्मू काश्मीर	2559	12469.81	12284.48	12432.18	11434.9	9.05
6	राजस्थान	7384.13	42373.85	41327.14	35250.88	29394	44.16
7	उत्तर प्रदेश	18017.74	104380.5	97007.5	94232.24	88278.44	18.24
8	उत्तराखंड	3426.35	12452.65	13542.54	11488.73	9779.55	27.33
9	छत्तीसगढ़	9998	68128.85	59375.35	56155.66	51797.86	31.53
10	गुजरात	22337.31	90755.63	78424.79	71214.2	65162.06	39.28
11	मध्य प्रदेश	10375	50696.11	49432.41	47606.91	48426.72	4.69
12	महाराष्ट्र	22295	92147.14	93391.74	86784.37	83498.39	10.36
13	आंध्र प्रदेश	17333.05	87096.11	92068.65	85132.31	79281.09	9.86
14	कर्नाटक	9479.82	43955.4	43583.27	36832.98	35462.92	23.95
15	बिहार	2770	14706.46	13812.29	14568.73	12066.52	21.88
16	डीवीसी	6433.2	26155.57	19832.69	16664.86	14888.73	75.67
17	झारखंड	3000	11564.78	6657.29	5681.91	5673.37	103.84
18	ओडिशा	8317.5	41628.15	40285.88	35664.7	34693.61	19.99
19	पश्चिम बंगाल	9541	46836.11	46108.54	45085.57	43349.73	8.04
20	अरुणाचल प्रदेश	405	1239.66	978.4	1399.56	1052.96	17.73
21	मणिपुर	141	581.75	523.5	603.89	381.66	52.43
22	मेघालय	332	782.42	594.5	438.8	675.03	15.91
23	त्रिपुरा	595.5	1426.83	1442.84	1313.42	1332.27	7.1

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5892

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां

†5892. श्री के. सुगुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार विद्युत वितरण कंपनियों की सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को 15 प्रतिशत कम करने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या देश में कुछ राज्यों ने इस संबंध में पहले ही यह उपलब्धि प्राप्त कर ली है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : जी, हां। देश में ए टी एंड सी हानियों को 15% तक कम करने और विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने जुलाई, 2008 में पुनर्गठित - त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आर-एपीडीआरपी का केन्द्रबिन्दु सतत एटीएंडसी हानि में कमी करने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर है।

इस स्कीम के अंतर्गत, 2001 की जनगणना के अनुसार, 30,000 से अधिक आबादी वाले (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10,000) नगरों में परियोजनाएं दो भागों में शुरू की जाती हैं। स्कीम का भाग-क, बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश: 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा, ग्राहक सेवा, कम्प्यूटरीकृत बिलिंग और संग्रहण आदि तथा पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा अर्जन (एससीएडीए) के लिए आई.टी. समर्थ प्रणाली स्थापित करने के लिए है, जबकि भाग-ख, परियोजना नगरों में विद्युतीय अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढीकरण के लिए है।

अब तक, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 33832.17 करोड़ रूपए की परियोजनाओं (भाग-क : 6713.08 करोड़ रूपए जिसमें 1401 नगर तथा 65 नगरों में 65 एससीएडीए परियोजनाएं शामिल हैं; भाग-ख : 1134 नगरों में 27119.09 करोड़ रूपए) को मंजूरी दी गई है।

(ग) और (घ) : आर-एपीडीआरपी स्कीम अभी भी कार्यान्वयनाधीन है और दिनांक 31.03.2013 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के भाग-क के अंतर्गत 306 नगरों को आंकड़ा केन्द्र के साथ एकीकृत किया गया है। आरंभिक मूल्यांकन यह दर्शाता है कि इन नगरों में एटीएंडसी हानियों में औसतन 6 से 7% तक कमी आई है। आशा है कि स्कीम के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, परियोजना क्षेत्र में एटीएंडसी हानियां घटकर 15% तक रह जाने की संभावना है। पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर एटीएंडसी हानियां जो वर्ष 2002-03 में 36.64% थी, घटकर 2010-11 में 26.15% रह गईं। राज्य-वार विवरण अनुबंध पर हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5892 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2002-03 से 2010-2011 तक राज्यवार एटी एंड सी हानियां(%)

क्रम सं.	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	आंध्र प्रदेश	36.14	22.62	21.15	16.68	17.88	16.19	12.99	16.43	17.50
2	अरुणाचल प्रदेश	61.73	16.34	25.43	68.99	57.96	61.59	60.15	58.82	61.45
3	असम	39.43	43.35	39.31	35.24	36.64	35.18	32.68	29.31	29.19
4	बिहार	77.64	66.25	82.50	83.75	43.99	47.38	34.37	43.92	47.44
5	छत्तीसगढ़	37.48	30.99	32.30	38.76	29.26	27.59	32.73	36.28	28.64
6	दिल्ली	59.51	51.19	43.55	40.32	34.32	34.59	17.92	20.78	15.76
7	गोवा	22.99	21.28	18.34	12.37	16.89	13.10	21.69	6.12	14.08
8	गुजरात	31.24	35.48	35.15	26.72	23.60	22.81	22.04	22.81	16.89
9	हिमाचल प्रदेश	29.52	9.26	21.71	17.06	13.47	17.15	12.85	18.46	15.72
10	हरियाणा	47.62	42.85	43.66	42.83	25.60	33.02	33.29	29.32	28.02
11	जम्मू व कश्मीर	68.22	68.79	68.33	63.25	64.68	71.92	69.05	70.44	72.86
12	झारखंड	72.63	62.47	62.83	52.14	54.41	23.34	54.16	10.21	46.79
13	कर्नाटक	45.68	35.82	33.67	38.04	32.76	32.13	24.94	25.34	23.71
14	केरल	36.19	32.73	32.12	23.61	23.34	21.52	21.61	14.90	14.09
15	मध्य प्रदेश	49.42	41.52	54.27	44.44	45.67	45.85	46.61	41.03	37.28
16	महाराष्ट्र	44.25	38.95	27.98	33.15	34.59	31.32	31.19	25.02	23.30
17	मणिपुर	76.81	69.70	88.56	77.83	79.69	79.61	81.32	47.55	40.17
18	मेघालय	42.39	39.35	38.12	37.90	39.08	39.45	43.37	48.77	51.63
19	मिजोरम	49.63	38.70	24.61	21.98	31.71	28.40	41.08	38.95	41.00
20	नागालैंड	53.74	55.63	43.13	50.41	48.01	49.12	44.12	46.16	50.07
21	ओडिशा	40.88	47.40	54.07	44.07	39.90	41.68	42.20	39.70	44.35
22	पुडुचेरी	41.67	20.53	16.46	17.46	17.46	18.71	18.47	19.35	14.43
23	पंजाब	26.45	25.52	24.00	23.31	22.54	19.10	18.51	17.73	17.47
24	राजस्थान	47.13	50.84	46.74	42.19	35.74	33.02	29.83	30.07	24.19
25	सिक्किम	80.12	66.67	38.33	44.87	61.43	51.20	46.81	55.36	51.96
26	तमिलनाडु	20.02	20.64	19.41	17.09	16.21	16.19	14.39	18.87	19.90
27	त्रिपुरा	34.27	14.84	20.96	32.36	29.19	30.26	31.91	29.16	34.48
28	उत्तर प्रदेश	32.21	58.38	46.81	43.89	44.25	43.10	35.04	35.73	40.29
29	उत्तराखंड	37.59	43.48	45.62	27.98	35.54	38.32	39.89	28.35	28.48
30	पश्चिम बंगाल	26.62	32.87	23.91	28.34	30.66	23.24	25.81	33.24	27.40
	सकल योग	36.64	34.90	34.82	33.02	30.62	29.45	27.37	26.58	26.15
स्रोत पीएफसी										

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5896

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत अधिनियम, 2003 का अनुपालन

5896. डॉ. संजय सिंह:

श्रीमती रमा देवी:

राजकुमारी रत्ना सिंह:

श्री चन्द्रकांत खैरे:

श्री जय प्रकाश अग्रवाल:

श्री अंजन कुमार एम. यादव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विद्युत अधिनियम, 2003 के क्रियान्वयन के पश्चात विद्युत की गुणवत्ता, उत्पादन और वितरण में किस प्रकार सुधार हुआ है;
- (ख) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार किए गए कार्य की निगरानी हेतु किसी केन्द्रीय निकाय/प्राधिकरण का गठन किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं एवं सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) वर्तमान में देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में कार्य कर रही निजी विद्युत वितरण कंपनियों की राज्य-वार संख्या कितनी है एवं बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए इन कंपनियों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा या सर्वेक्षण के लिए उक्त अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं; और
- (ङ) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 2 (11) के अंतर्गत निजी विद्युत वितरण कंपनियों के लाइसेंस धारक किस प्रकार विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता, की नियमितता एवं आपूर्ति सुनिश्चित कर पाए हैं एवं इन कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 में सामान्यतः विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए उसके विकास हेतु अनुकूल उपाय करने उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करते हुए तथा सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत प्रशुल्क के युक्तीकरण और इससे जुड़े एवं संगत मामलों के लिए विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण व्यापार से संबंधित कानूनों को समेकित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के द्वारा सरलीकृत नीति और विनियामक ढांचे से विद्युत की गुणवत्ता, उत्पादन और वितरण में निम्नलिखित लाभ मिलने शुरू हुए हैं :

- (i) विद्युत के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करना : उत्पादन को लाइसेंस मुक्त करने के साथ-साथ विद्युत प्रापण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली से उत्पादन परियोजनाओं में निवेश को सरल बनाया गया है और उत्पादन की लागत को कम किया गया है, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।
- (ii) पारेषण/वितरण प्रणालियों में खुली पहुँच : विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा विद्युत क्षेत्र में खुली पहुँच की शुरुआत द्वारा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने से उपभोक्ताओं को विकल्प उपलब्ध कराया गया है ।
- (iii) सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र को विनियमित करने के लिए विद्युत विनियामक आयोग स्थापित किए गए हैं, जिनके कर्तव्यों में लाइसेंस प्रदान करना और रद्द करना, राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा प्रशुल्क नीति के अनुरूप प्रशुल्क निर्धारित करना, निर्धारण और निष्पादन मानकों को परिभाषित करना और लागू करना और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा देना शामिल है ।
- (iv) अपीलीय अधिकरण की स्थापना : सीईआरसी और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश के खिलाफ अपीलों को निपटाने के लिए एक अपीलीय अधिकरण स्थापित किया गया है, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सके ।
- (v) उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों की स्थापना और विशेष न्यायालयों की स्थापना से उपभोक्ता को विद्युत की बेहतर गुणवत्ता और आपूर्ति की मांग करने का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

**(ख) और (ग) :** विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, उपयुक्त आयोग, जिसमें केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी)/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), भार प्रेषण केन्द्र तथा जिला समितियां शामिल हैं, की अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं का निगरानी करने की जिम्मेदारी है । अधिनियम के संगत उपबंध अर्थात धारा 79 और 86 क्रमशः केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) से संबन्धित हैं, धारा 73, सीईए के कार्यों के बारे में हैं, धारा 28 और 32, लोड डिस्पैच सेंटर्स के कार्यों के बारे में है और धारा 166(5), जिला समितियों के बारे में है ।

इसके अलावा, उपयुक्त आयोग को, अधिनियम की धारा 142 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अधिनियम के उपबंधों, अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई नीतियों, नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने के लिए दंड लगाने का अधिकार प्राप्त है । अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत, आयोग को, किसी व्यक्ति के खिलाफ विनियामक लोड डिस्पैच सेंटर (आरएलडीसी) के निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए भी दंड लगाने का अधिकार है ।

**(घ) और (ङ) :** उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में विद्युत क्षेत्र में प्रचालन कर रही निजी वितरण कंपनियों की सूची **अनुबंध** पर है ।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 19 में, अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के दीर्घ अवधि तक किए गए उल्लंघन के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है । तथापि, प्रश्न में उल्लिखित, कथित अधिनियम की धारा 19 की ऐसी कोई उप धारा 2(11) नहीं है ।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5896 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश के विभिन्न राज्यों में प्रचालनरत निजी वितरण कंपनीयाँ(डिस्कॉम्स):

राज्य/यूटीलिटीज	निजी वितरण कंपनियों की संख्या	कंपनियों के नाम
पश्चिम बंगाल	2	कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कं.(सीईएससी) दीशेरगढ़ पावर कं. लि.
गोवा	1	मैसर्स रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
गुजरात	2	अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कं. लि.( टॉरेंट पावर लि.) सूरत इलेक्ट्रिसिटी कं. लि.(टॉरेंट पावर लि.)
दिल्ली	3	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड
महाराष्ट्र	2	बीएसईएस (रिलायंस इनर्जी लि.), टाटा पावर कं. लि.
केरल	1	कनान देवल हिल्स प्लांटेशन कंपनी प्रा. लि.
उत्तर प्रदेश	1	नोएडा पावर कं. लि.
ओडिशा	4	सदर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ ओडिशा लि. नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ ओडिशा लि. वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ ओडिशा लि. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ ओडिशा लि.
झारखंड	1	जमशेदपुर यूटीलिटी एंड सर्विसेज कंपनी(जुस्को)
छत्तीसगढ़	1	मैसर्स जिंदल स्टील एंड पावर लि.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5901  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों को हानि

†5901. श्री एस. सेम्मलई:

श्री अर्जुन राम मेघवाल:

श्री एस.आर. जेयदुरई:

श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

श्री एस.एस. रामासुब्बू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों की समेकित हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है एवं ऐसी हानियों के क्या कारण हैं तथा ऐसी विद्युत वितरण कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो लाभ अर्जित कर रही हैं;
- (ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम एवं विद्युत वित्त निगम विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों को हो रही हानियों के लिए वित्तीय प्रावधान करने में सक्षम नहीं है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली विद्युत वितरण कंपनियों के कार्य की समीक्षा करने के बाद अन्य राज्यों में घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को उनके मॉडल को अपनाने के लिए कोई परामर्श जारी किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्रियान्वयन की स्थिति क्या है तथा विभिन्न राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : यूटिलिटीयों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा विवरण के आधार पर '2008-09 से 2010-11 तक के वर्षों में राज्य विद्युत यूटिलिटीयों का निष्पादन' विषय पर पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार सीधे तौर पर उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली कई यूटिलिटीयों को 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं ।

उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर बिक्री करने वाली यूटिलिटीयों के तुलन-पत्र के अनुसार संचयी लाभ/(हानि) का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है। वर्ष 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

राज्य विद्युत यूटिलिटीयों की खराब, वित्तीय स्थिति के मुख्य कारण टैरिफ का लंबे अंतराल

पर संशोधन/टैरिफ में अपर्याप्त वृद्धि, सब्सिडी राशि का भुगतान न होना, उच्च तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियां आदि हैं।

**(ख) और (ग) :** बुद्धिमत्तापूर्ण मानकों के अनुसार, यदि कोई ऋण गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) हो जाता है, तो लेखा-बहियों में इसके लिए प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। चूंकि घाटे में चल रही कंपनियों सहित सभी विद्युत वितरण कंपनियों देयताओं का भुगतान रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को कर रही हैं तथा उनको दिया गया कोई भी ऋण एनपीए नहीं हुआ है, अतः कोई प्रावधान किया जाना अपेक्षित नहीं है।

जहाँ तक पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) का प्रश्न है, 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार, राज्य क्षेत्र के कर्जदारों में से कोई भी एनपीए नहीं है। अतः लेखा बहियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

**(घ) और (ङ) :** हानि उठा रही विद्युत कंपनियों को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। तथापि 5 फरवरी, 2013 को आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में 'वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति पर उच्च स्तरीय पैनल' द्वारा नियुक्त मैसर्स क्रिसिल रिस्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर साल्यूशन्स लिमिटेड (सीआरआईएस) की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न वितरण माडलों के तुलनात्मक अध्ययन पर एक प्रस्तुतीकरण दिया गया था, जिसका उद्देश्य वितरण यूटिलिटीयों के उभरते मॉडलों पर ध्यान देना और उनकी सापेक्ष क्षमताओं और कमजोरियों की तुलना करना था।

विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा उपपारेषण और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों पर होती है। उपभोक्ताओं को सुधरे हुए ढंग से विद्युत उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों अनुपूरण में, भारत सरकार सुविधा प्रदायक के तौर पर कार्य करती है।

देश के वितरण क्षेत्र में सुधार तथा एसईबी/वितरण कंपनियों की हानियों में कमी लाने के लिए संघ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

\*\*\*\*\*

## अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5901 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटीयों के तुलन पत्र के अनुसार संचयी लाभ (हानि)

( करोड़ रु0 में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2008-09	2009-10	2010-11
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-3,114	-4,526	-5,858
	बिहार कुल		-3,114	-4,526	-5,858
	झारखंड	जेएसईबी	-4,650	-5,356	-6,079
	झारखंड कुल		-4,650	-5,356	-6,079
	उड़ीसा	सेसको	-1,053	-1,199	-1,348
		नेसको	-626	-657	-731
		सेसको	-681	-722	-743
		वेसको	-457	-487	-527
	उड़ीसा कुल		-2,817	-3,064	-3,349
	सिक्किम	सिक्किम पीडी			
	सिक्किम कुल				
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	-361	-273	-216
	पश्चिम बंगाल कुल		-361	-273	-216
पूर्वोत्तर	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश पीडी	-686	-898	-1,081
	अरुणाचल प्रदेश कुल		-686	-898	-1,081
	असम	सीएईडीसीएल	-88		
		एलएईडीसीएल	-72		
		यूएईडीसीएल	-106		
		एपीडीसीएल		-584	-1,030
	असम कुल		-265	-584	-1,030
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-1,103	-1,190	-1,324
	मणिपुर कुल		-1,103	-1,190	-1,324
	मेघालय	मेघालय एसईबी	-393	-449	
		मेघालय ईसीएल			-540
	मेघालय कुल		-393	-449	-540
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-416	-555	-714
	मिजोरम कुल		-416	-555	-714
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-646	-755	-914
	नागालैंड कुल		-646	-755	-914
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-237	-234	-360
	त्रिपुरा कुल		-237	-234	-360
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	-493	-307	81
		बीएसईएस यमुना	-58	18	173
		एनडीपीएल	324	675	933
	दिल्ली कुल		-228	386	1,188
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-1,261	-1,894	-2,288
		यूएचबीवीएनएल	-2,778	-3,691	-3,820
	हरियाणा कुल		-4,039	-5,585	-6,107
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	-230	-383	
		एचपीएसईबी लि.			-894
	हिमाचल प्रदेश कुल		-230	-383	-894
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	-9,457	-11,563	-13,730
	जम्मू और कश्मीर कुल		-9,457	-11,563	-13,730

	पंजाब	पीएसईबी	-8,411	-9,713	
		पीएसपीसीएल			-1,482
	पंजाब कुल		-8,411	-9,713	-1,482
	राजस्थान	एवीवीएनएल	0	0	0
		जेडीवीवीएनएल	0	0	0
		जेवीवीएनएल	0	0	0
	राजस्थान कुल		0	0	0
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-4,789	-6,572	-7,689
		केस्को	-1,399	-1,562	-1,635
		एमवीवीएन	-2,910	-4,109	-4,457
		पश्चिमी वीवीएन	-3,182	-4,601	-4,906
		पूर्वी वीवीएन	-4,260	-5,807	-6,776
	उत्तर प्रदेश कुल		-16,540	-22,651	-25,463
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-1,240	-1,744	-1,960
	उत्तराखंड कुल		-1,240	-1,744	-1,960
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	-154	-118	-115
		एपीईपीडीसीएल	66	84	97
		एपीएनपीडीसीएल	-26	-20	-15
		एपीएसपीडीसीएल	137	141	144
	आंध्र प्रदेश कुल		22	86	111
	कर्नाटक	बेसकोम	-362	-351	-351
		वेसकोम	-212	-285	-274
		जेसकोम	-186	-217	-155
		हेसकोम	-485	-659	-724
		मेसकोम	42	51	52
	कर्नाटक कुल		-1,203	-1,461	-1,451
	केरल	केएसईबी	1,245	1,486	1,727
	केरल कुल		1,245	1,486	1,727
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	268	221	88
	पुडुचेरी कुल		268	221	88
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-17,414	-27,709	
		टैनजेडको			-8,401
	तमिलनाडु कुल		-17,414	-27,709	-8,401
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	74	-259	-726
	छत्तीसगढ़ कुल		74	-259	-726
	गोवा	गोवा पीडी	991	1,006	927
	गोवा कुल		991	1,006	927
	गुजरात	डीजीवीसीएल	35	56	119
		एमजीवीसीएल	41	58	83
		पीजीवीसीएल	47	50	53
		यूजीवीसीएल	26	31	44
	गुजरात कुल		148	196	299
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-1,896	-2,675	-3,280
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-1,862	-3,295	-3,873
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-2,234	-3,364	-4,338
	मध्य प्रदेश कुल		-5,992	-9,334	-11,491
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-1,146	-2,260	-3,793
	महाराष्ट्र कुल		-1,146	-2,260	-3,793

( स्रोत:पीएफसी)

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5901 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में वितरण को सुधारने और राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत वितरण कंपनियों की हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

### आर-एपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटीयों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में यूटिलिटीयों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30000( विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखाकन/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढीकरण के लिए है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, अब तक 33,832.17 करोड़ रूपए (भाग-क : 1401 शहरों तथा 65 शहरों में 65 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6713.08 करोड़ रूपये, भाग ख 1134 नगरों में 27119.09 करोड़ रूपये) की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

### यूटिलिटीयों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटीयों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं(एफआई)/ बैंको द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटीयों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटीयों को प्रोत्साहित/निरूत्साहित करने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि सब्सिडी, स्वयं सतत प्रचालन के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित इक्विटी समर्थन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाया जा सके तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके।

### विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घविधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वतः संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए " विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल " से अनुरोध किया है।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/ डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अंततः वितरण यूटिलिटीयों के लंबित राशि के बढ़ते जा रहे बकायों के

निपटारे के लिए मदद देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, तो टैरिफ का स्वतः निर्धारण, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला अंतर नहीं छोड़ा जाना है। विनियामक परिसंपत्तियाँ असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त की जानी हैं।

### **मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश**

राज्य विनियामक मंच तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के योजितकीकरण के मामले से संबंधित है। एफओआर(विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए माडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है। माडल टैरिफ दिशानिर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है।

### **राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन**

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है। स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

### **राष्ट्रीय विद्युत स्थिति (ब्याज सब्सिडी स्कीम)**

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) में वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों को 25,000 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरण पर 8466 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के अंतर्गत, वितरण लाइसेंसी आर-एपीडीरपी और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्य करने के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता का लाभ उठा सकता है।

एनईएफ स्कीम का उद्देश्य सेक्टर में अवसंरचना को सुधारने और सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए वितरण क्षेत्र में निवेश को सुग्राही बनाना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5909

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण  
योजना

†5909. श्री निशिकांत दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) झारखण्ड में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की क्या प्रगति है;
- (ख) राज्य में इस कार्यक्रम के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;
- (ग) कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या राज्य के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दूसरा चरण केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा मामले में क्या कार्रवाई की जा रही है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत झारखंड में 22 परियोजनाओं (दसवीं योजना में 13 परियोजनाएं तथा ग्यारहवीं योजना में 9 परियोजनाएं) को मंजूरी प्रदान की गई थी। जिसमें 19,071 गैर/निर्विद्युतीकृत गाँवों (यूईवी) के विद्युतीकरण, तथा 7106 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गाँवों (पीईवी) का सघन विद्युतीकरण तथा 18,03,377 गरीबी रेखा से नीचे के घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल था। 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार संचयी रूप से 18,086 यूई गाँवों तथा 5,729 गाँवों में विद्युतीकरण कार्य पूरा किया जा चुका है और 12,98,825 गरीबी रेखा से

नीचे के घरों को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं । शेष कार्यों के मार्च, 2014 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

(ग) : झारखंड राज्य में धीमी प्रगति के निम्नलिखित कारण हैं :-

- (i) जेएसईबी के विरुद्ध मुकदमे बाजी ।
- (ii) ग्रिड कनेक्टिविटी की समस्या ।
- (iii) वन स्वीकृति से जुड़ी समस्याएं तथा ठेकेदारों का खराब निष्पादन ।

(घ) और (ङ) : आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 20.06.2012 को एनटीपीसी से गोड्डा और पाकुर जिलों के लिए दो पूरक परियोजनाएं प्राप्त हुई थी । चूंकि ये डीपीआर वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर नहीं तैयार की गई थी तथा ये झारखंड सरकार से संस्तुत नहीं थी, इसलिए इन्हें एनटीपीसी को वापस कर दिया गया । इन डीपीआर पर अब विचार किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार द्वारा बारहवीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखे जाने को अनुमोदन प्रदान किया जाए ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5919  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

†5919. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) के साथ विद्युत क्षेत्र में सुधारों पर कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): विद्युत मंत्रालय योजना आयोग और संबंधित मंत्रालयों और पणधारियों के परामर्श से सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अंतर्गत विद्युत की अधिप्राप्तियों के लिए मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी) तैयार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के विकास के लिए एसबीडी दस्तावेज पहले से ही उपलब्ध है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5933

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाएं

†5933. श्री बदरुद्दीन अजमल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड का मेघालय में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करने का विचार है और नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन मणिपुर में एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की कुल लागत कितनी है और इस संबंध में लागत भागीदारी का पैटर्न क्या है;
- (ग) क्या इन परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में किसी पड़ोसी देश द्वारा कोई आपत्ति की गई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : मेघालय सरकार ने सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और इसके अनुवर्ती कार्य निष्पादन के लिए मावफू हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एचईपी) चरण-II (85 मेगावाट) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (नीपको) को आबंटित की है। दिसंबर, 2010 में तैयार की गई पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 453.81 करोड़ रुपए है।

एनएचपीसी द्वारा मणिपुर में वर्तमान में कोई भी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है। तथापि, एनएचपीसी ने मणिपुर में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दो संयुक्त उद्यमों (जेवी) का गठन किया है।

(i) तिपाईमुख एचईपी (1500 मेगावाट) का कार्यान्वयन एनएचपीसी (69%), एसजेवीएनएल (अब एसजेवीएन के स्थान पर नीपको को प्रस्तावित किया गया है) (26%) और मणिपुर सरकार (5%) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाना है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृतियों के अनुसार, परियोजना की लागत 5,163.86 करोड़ रुपए (दिसंबर, 2002 के मूल्य स्तर पर) है।

(ii) लोकटक डाउनस्ट्रीम एचईई परियोजना (66 मेगावाट) का कार्यान्वयन एनएचपीसी (74%) और मणिपुर सरकार (26%) के बीच संयुक्त उद्यम के माध्यम से किया जाना है। तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के अनुसार, परियोजना की लागत 867.77 करोड़ रुपए (अक्टूबर, 2006 के मूल्य स्तर पर) है।

(ग) और (घ) : बांग्लादेश सरकार ने यह आशंका व्यक्त की है कि इन परियोजनाओं के निर्माण से बांग्लादेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेश को यह आश्वासन दिया है कि जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे बांग्लादेश के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(ड) : इन परियोजनाओं की स्थिति अनुबंध में दी गई है।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 5933 के भाग (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क्रम सं.	परियोजना /कार्य निष्पादन एजेंसी का नाम /आई.सी.	सीईए सहमति	वर्तमान स्थिति
	<b>मणिपुर</b>		
1	तिपाईमुख (केंद्रीय क्षेत्र) एनएचपीसी, मणिपुर सरकार, एसजेवीएनएल/*1500 मेगावाट	02.07.2003	<b>पर्यावरण स्वीकृति</b> : 24.10.2008 <b>वन स्वीकृति</b> : वन स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
2	लोकटक डी/एस (केंद्रीय क्षेत्र) एनएचपीसी एवं मणिपुर सरकार/66 मेगावाट	15.11.2006	<b>पर्यावरण स्वीकृति</b> : 16.01.2013 <b>वन स्वीकृति</b> : चरण-I अनुमोदन : 211.57 हेक्टेयर के डायवर्जन के लिए 03.03.2011
	<b>मेघालय</b>		
3	मावफू एचईपी चरण-II (केंद्रीय क्षेत्र) नीपको/85 मेगावाट		डीपीआर की तैयारी के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के अधीन

\* अब नीपको द्वारा इसे परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5943  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

सी.ई.ए. में श्रमशक्ति की कमी

†5943. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:

श्री एन.एस.वी. चित्तन:

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) में वास्तविक स्वीकृत श्रमशक्ति की तुलना में मौजूदा क्षमता का पद-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सी.ई.ए. में श्रमशक्ति की भारी कमी है जिसके कारण देश में विद्युत संकट से निपटने में कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी के क्या कारण हैं; और
- (घ) सी.ई.ए. में रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए और वित्तीय रूप से इसे सुदृढ़ बनाने के लिए भी सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पदवार जनशक्ति की मौजूदा क्षमता के साथ-साथ वास्तविक स्वीकृत क्षमता के विवरण, जैसा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने सुनिश्चित किया है, अनुबंध पर दिए गए हैं ।

(ख) से (घ) : वर्तमान स्टाफ क्षमता के साथ, सीईए कुशल तरीके से अपने कार्यों को करने के सभी प्रयास कर रहा है । सीईए में विभिन्न ग्रेडों में पदों को विभिन्न तरीकों जैसे कि सीधी भर्ती, पदोन्नति, संवर्ग प्राधिकरण अर्थात कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएण्डटी) आदि द्वारा नामिनेशन से भरा जाता

है। विभिन्न पदों को भरने में विलंब भर्ती एजेंसियों जैसे संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समय लेने के कारण होता है और नियुक्ति-पूर्व औपचारिकताएं को भी पूरा करने में समय लगता है। इसके अतिरिक्त, डीओपीएण्डटी भी उम्मीदवारों के नामांकन करने में समय लेता है।

यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा (ईएसई)-2013 के माध्यम से ग्रुप-बी के सहायक निदेशक ग्रेड II (ए डी- II) के 109 रिक्त पदों तथा ग्रुप-ए के सहायक निदेशक ग्रेड I (ए डी- I) के 24 पदों को भरने के लिए सूचना पहले ही यूपीएससी को दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त,

ए डी-I के 30 पदों को ईएसई-2012 के माध्यम से भरे जाने के लिए यूपीएससी को पहले ही सूचित किया जा चुका है। सीईए में रिक्त पदोन्नति पदों को भरने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर, केन्द्रीय विद्युत अभियांत्रिकी (समूह-क) सेवा में विभिन्न श्रेणियों में वरिष्ठता सूचियों को पुनः तैयार करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इन उपायों से सीईए की स्टाफ क्षमता में बढोत्तरी होने तथा इसके कार्यों में आगे सुधार करने में सुगमता होगी। सीईए के संबंध में वर्ष 2013-14 के लिए योजना और गैर-योजना के बजट आकलनों के अंतर्गत निधियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5943 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट  
अनुबंध

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार सीईए (मुख्यालय) और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में संस्वीकृत एवं भरे गए तकनीकी पदों के ब्यौरे

क्रम सं.	पद का नाम	समूह	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त
1.	मुख्य अभियंता	ए	30	10	20
2.	निदेशक (ई एंड एम)	ए	94	92	2
3.	उप निदेशक (ई एंड एम)	ए	204	109	95
4.	सहायक निदेशक -I (ई एंड एम)	ए	153	66	87
5.	सहायक निदेशक -II (ई एंड एम)	बी	109	0	109
6.	स्टेट. इनवेस्ट. ग्रेड. I	बी	2	2	0
7.	हैड ड्राफ्ट्समैन (ई एंड एम) एंड अनुभाग अधिकारी	बी	22	19	3
8.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड -I (ई एंड एम)	बी	66	26	40
9.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड -II (ई एंड एम) एंड एसओ	बी	38	2	36
10.	जूनियर इंजीनियर (ई एंड एम)	बी	2	0	2
11.	प्रोफ. असिस्टेंट	बी	2	1	1
12.	स्टेट. असिस्टेंट	बी	2	2	0
13.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड III (ई एंड एम)	सी	5	0	5
14.	मुख्य अभियंता (सिविल)	ए	1	1	0
15.	निदेशक (सिविल)	ए	2	1	1
16.	आर्थिक सलाहकार	ए	1	0	1
17.	निदेशक (आईईएस)	ए	2	2	0
18.	उप निदेशक (सिविल)	ए	9	4	5
19.	सहायक निदेशक (सिविल)	ए	8	4	4
20.	सहायक निदेशक -II (सिविल)	बी	6	6	0
21.	हैड ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	बी	2	2	0
22.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड -I सिविल	बी	6	4	2
23.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड -II (सिविल)	बी	25	14	11
24.	फॉर्मैन सब-ऑफिस	बी	2	2	0
25.	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड -III (सिविल)	सी	5	0	5
26.	इलैक्ट्रिशियन सब-ऑफिस	सी	2	2	0
	<b>कुल (i)</b>		<b>800</b>	<b>371</b>	<b>429</b>

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार सीईए (मुख्यालय) में संस्वीकृत और भरे गए गैर-तकनीकी पदों का ब्यौरा

क्रम सं.	पद का नाम	समूह	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त
1.	निदेशक/उप सचिव	ए	2	1	1
2.	उप निदेशक (राजभाषा)	ए	1	1	0
3.	पीपीएस	ए	25	12	13
4.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	ए	2	0	2
5.	अवर सचिव	ए	4	4	0
6.	सहायक लेखा नियंत्रक	ए	1	0	1
7.	अनुभाग अधिकारी	बी	17	16	1
8.	निजी सचिव	बी	46	26	20
9.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी	बी	1	1	0
10.	सहायक	बी	43	39	4
11.	वैयक्तिक सहायक/स्टैनो ग्रेड -I	बी	95	45	50
12.	वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक	बी	2	2	0
13.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	बी	2	2	0
14.	पुस्तकालय सूचना सहायक	बी	1	1	0
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	सी	110	46	64
16.	स्टैनो ग्रेड -III	सी	52	13	39
17.	डीईओ	सी	16	7	9
18.	अवर श्रेणी लिपिक	सी	61	6	55
19.	ड्राइवर	सी	8	7	1
20.	डिस्पैच राइडर	सी	2	2	0
21.	सीनियर गैस्ट. ऑपरेटर	सी	1	1	0
22.	एमटीएस	सी	145	123	22
	<b>कुल (ii)</b>		<b>637</b>	<b>355</b>	<b>282</b>

दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार सीईए के अधीनस्थ कार्यालयों में संस्वीकृत और भरे गए गैर-तकनीकी पदों का ब्यौरा

क्रम सं.	पद का नाम	समूह	संस्वीकृत	भरे गए	रिक्त
1.	सहायक निदेशक (राजभाषा)/हिन्दी अधिकारी	बी	1	1	0
2.	सीनियर वैयक्तिक सहायक	बी	4	1	3
3.	एसएस लेखा	बी	1	0	1
4.	वैयक्तिक सहायक/स्टैनो ग्रेड - I	बी	22	10	12
5.	कार्यालय अधीक्षक	बी	1	0	1
6.	हिन्दी अनुवादक ग्रेड - III	बी	6	4	2
7.	असिस्टेंट (सब ऑफिस)	बी	2	1	1
8.	हैड क्लर्क	बी	2	1	1
9.	स्टैनो ग्रेड- II	सी	6	5	1
10.	उच्च श्रेणी लिपिक	सी	20	15	5
11.	स्टोर कीपर	सी	1	0	1
12.	अवर श्रेणी लिपिक	सी	33	12	21
13.	ड्राइवर	सी	13	9	4
14.	एमटीएस	सी	63	46	17
	<b>कुल (iii)</b>		<b>175</b>	<b>105</b>	<b>70</b>
	<b>कुल योग (i+ii+iii)</b>		<b>1612</b>	<b>831</b>	<b>781</b>

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5944

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

पावर ग्रिड से अधिक विद्युत आहरित करना

5944. श्री जगदीश शर्मा:

श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में ग्रिड ठप्प होने और विद्युत आपूर्ति में उतार-चढ़ाव पर रोक लगाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) ने जुलाई, 2012 के दौरान ग्रिड ठप्प होने की घटना के पश्चात् राज्यों द्वारा अधिक विद्युत आहरित करने संबंधी नियम/दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने मार्च, 2013 की स्थिति तक उक्त नियमों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में उन राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) भविष्य में ग्रिड में व्यवधान की रोकथाम के लिए विद्युत ग्रिड की संरक्षा प्रणाली में बढ़ोतरी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : वर्तमान में ग्रिड बंदी और विद्युत स्विंग को रोकने के लिए फ्रीक्वेन्सी आधारित स्वचालित भार शेडिंग स्कीम, प्रणाली सुरक्षा स्कीमें, फ्री गर्वनर/रेस्ट्रिक्टेड गर्वनर प्रचालन के तरीके के माध्यम से जनरेटरों से प्राथमिक प्रतिक्रिया जैसे उपाय मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, आरएलडीसी और एसएलडीसी, प्रचालन के सामान्य फ्रीक्वेन्सी बैंड के अंतर्गत भी ग्रिड घटकों की ओवरलोडिंग को रोकने के लिए भी नजर रखते हैं

और संबंधित यूटिलिटी को ओवरलोडिंग, जिससे ग्रिड बंदी/पावर स्विंग हो सकती है, रोकने की सलाह देते हैं ।

**(ख) से (घ) :** जुलाई, 2012 के दौरान ग्रिड बाधा की घटना के बाद सीईआरसी द्वारा राज्यों द्वारा विद्युत की अधिक निकासी के संबंध में कोई विशिष्ट नियम/दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं ।

**(ङ) :** दिनांक 30 और 31 जुलाई, 2012 को हुई ग्रिड बाधाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए, विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित जाँच समिति ने, देश भर के सब-स्टेशनों के तृतीय पक्ष सुरक्षा लेखा परीक्षा (टीपीए) सहित विद्युत ग्रिडों की सुरक्षा प्रणाली बढ़ाने के लिए अनेक उपायों की सिफारिश की है । देश के सभी क्षेत्रों में टीपीए पूरा कर लिया गया है । शुरू किए गए अन्य उपायों में, कम फ्रीक्वेंसी को शामिल करते हुए व्यापक सुरक्षा योजना की तैयारी, फ्रीक्वेंसी की कम वोल्टता की परिवर्तन दर, बड़ी उत्पादन एवं पारेषण लाइन बंदियों को शामिल करते हुए प्रणाली सुरक्षा स्कीम, यूटिलिटियों को क्षेत्रीय विद्युत समितियों के परामर्श से उत्पादन यूनिटों और पारेषण लाइनों के लिए बंदी योजनाएं तैयार करने हेतु सलाह देना शामिल है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-5945

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

एन.टी.पी.सी. द्वारा हस्ताक्षर किया गया समझौता

†5945. श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री प्रदीप माझी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) ने देश में जैव-ताप संसाधनों की सम्भावना तलाशने के लिए किसी नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) क्या ऐसे जैव-ताप आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थानों की पहचान कर ली गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, हां ।

(ख)- एनटीपीसी द्वारा 16 फरवरी, 2013 को छत्तीसगढ़ राज्य के तातापानी में भूतापीय संसाधनों की संभाव्यता तलाशने और इसके बाद बनाओ, अपनाओ और चलाओ (बीओओ) आधार पर भूतापीय आधारित विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन एक एजेंसी, छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (सीआरईडीए) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग)- एमओयू की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं-

(i) सीआरईडीए, एनटीपीसी को तातापानी में भूतापीय संसाधनों को तलाशने और तदुपरांत तकनीकी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य भूतापीय विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के विशिष्ट अधिकार प्रदान करेगी ।

(ii) एनटीपीसी तातापानी में भूतापीय संसाधन की तलाश करेगा और चिह्नित परियोजना की तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करेगा ।

(iii) एनटीपीसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों से अधिकतम अनुदान प्राप्त करने की संभावनाएं तलाश करेगा। एनटीपीसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से संबंधित समस्त सांविधिक स्वीकृतियां/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(iv) एक बार तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाने पर, एनटीपीसी बीओओ आधार पर भूतापीय आधारित परियोजना का क्रियान्वयन करेगा ।

(v) सीआरईडीए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) के माध्यम से सरकार के निदेशों की सहायता से/के अनुसार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अनुमतियां स्वीकृतियाँ, अनापत्ति प्रमाणपत्र, सिफारिशें इत्यादि शीघ्रतापूर्वक प्रदान करना सुगम बनाएगा।

(vi) राज्य सरकार द्वारा सीआरईडीए की आवश्यकता के अनुरोध के अनुसार कार्य-स्थल के लिए मौजूदा सड़कों/कच्ची सड़कों/रास्तों इत्यादि जैसी समस्त आधारभूत सहायता प्रदान की जाएगी ।

**(घ) और (ङ) -** सीआरईडीए द्वारा छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के अंबिकापुर से लगभग 92 कि.मी. पूर्वोत्तर स्थित एक भूतापीय परियोजना स्थल तातापानी को व्यवहार्यता अध्ययन के लिए चिह्नित किया गया है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5952

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

आर.जी.जी.वी.वाई. के अंतर्गत  
विद्युतीकरण

5952. श्री भूदेव चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत बिहार में विद्युतीकृत गाँवों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त योजना के अंतर्गत अधिष्ठापित ट्रांसफार्मरों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने ट्रांसफार्मर जल गए हैं एवं कितने समुचित रूप से कार्य कर रहे हैं; और
- (ग) अगले तीन वर्षों के दौरान राज्य में कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना(आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, 31.3.2013 तक, बिहार में 22,730 गैर-विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। जिले-वार ब्यौरे अनुबंध-I पर हैं।

(ख)- आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 31.3.2013 तक बिहार में 41,461 ट्रांसफार्मर संस्थापित किए गए थे। इनमें से जले हुए ट्रांसफार्मरों सहित 7205 ट्रांसफार्मरों में खराबी होने की सूचना प्राप्त हुई है। क्षेत्र-वार ब्यौरे अनुबंध-II पर हैं।

(ग)- 10वीं योजना परियोजनाओं के 46 गांव, 11वीं योजना परियोजनाओं के 830 गांव और वर्ष 2011-12 के दौरान संस्वीकृत चरण-II परियोजनाओं के 1338 गांवों के अगले तीन वर्षों के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है बशर्ते कि 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई को जारी रखा जाए।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5952 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

बिहार में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण का परियोजनावार ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	उपलब्धि ( 31-03-2013 के अनुसार)
<b>X वी योजना</b>		
1	दरभंगा	369
2	पूर्वी चंपारण	744
3	मधुबनी	326
4	शिवहर	119
5	सीतामढ़ी	305
6	अररिया	573
7	औरंगाबाद	1239
8	बांका	1276
9	भागलपुर	525
10	भोजपुर	594
11	बक्सर	516
12	गया ( दक्षिण)	1208
13	गया( उत्तर)	849
14	गोपालगंज	692
15	जमुई	953
16	कैमूर	460
17	किशनगंज	477
18	लखीसराय	175
19	मुंगेर	201
20	नालंदा	609
21	नवादा	613
22	पटना	438
23	पूर्णिया	583
24	रोहतास	998
25	सारन	925
26	सिवान	826
	उप जोड़	16593
<b>XI वी योजना</b>		
1	बेगूसराय	297
2	कटिहार	394
3	खगरिया	67
4	मधेपुरा	211
5	सहरसा	162
6	समस्तीपुर	397
7	शेखपुरा	153
8	सुपौल	303
9	दरभंगा	284
10	पूर्वी चंपारण	96
11	मधुबनी	309
12	शिवहर	32
13	सीतामढ़ी	259
14	पश्चिमी चंपारण	868
15	जहानाबाद एवं अरवल(2 जिले)	540
16	मुजफ्फरपुर	335
17	वैशाली	336

	एमएनपी के अंतर्गत मुजफ्फरपुर एवं वैशाली पूरा किया गया	1094
	उप जोड़	6137
	कुल योग	22730

**अनुबंध-II**

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5952 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बिहार में खराब डीटी

क्र. सं.	जिले का नाम	खराब डीटी की कुल संख्या
<b>क</b>	<b>पीजीसीआईएल</b>	
1	आरा	503
2	अररिया	226
3	औरंगाबाद	237
4	बांका	152
5	भागलपुर	263
6	बक्सर	306
7	गया	403
8	गोपालगंज	266
9	जमुई	139
10	जहानाबाद एवं अरवल	76
11	कैमूर	126
12	किशनगंज	246
13	लखीसराय	68
14	मुंगेर	22
15	मजफ्फरपुर	210
16	नालंदा	172
17	नवादा	39
18	पटना	164
19	पूर्णिया	256
20	रोहतास	517
21	सारण	418
22	सिवान	393
23	वैशाली	239
	<b>कुल</b>	<b>5441</b>
<b>ख</b>	<b>एनएचपीसी</b>	
1	दरभंगा	33
2	पूर्वी चंपारण	352
3	मधुबनी	237
4	शिवहर	27
5	सीतामढ़ी	153
6	पश्चिमी चंपारण	352
	<b>कुल</b>	<b>1154</b>
<b>ग</b>	<b>बीएसईवी</b>	
1	शेखपुरा	19
2	कटिहार	0
3	सहरसा	142
4	सुपौल	77
5	मधेपुरा	294
6	खगरिया	2
7	समस्तीपुर	51
8	बेगुसराय	25

कुल	610
कुल योग	7205

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न संख्या-5955  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत का वितरण

5955. श्री सुदर्शन भगत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के अधिकांश राज्यों में समुचित विद्युत वितरण प्रणाली नहीं है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्यों में कौन से कानून विद्यमान हैं;
- (ग) राज्यों में समुचित विद्युत वितरण प्रणाली के अभाव के कारण आम आदमी का जीवन किस प्रकार प्रभावित हुआ है; और
- (घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग) : राज्यों में विद्युत का वितरण राज्य डिस्कॉमों, डिस्कॉमों, विद्युत विभागों और निजी यूटिलिटीयों द्वारा किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 के अनुसार, " वितरण लाइसेंसी की यह ऊंचूटी होगी कि वह आपूर्ति के अपने क्षेत्र में कुशल, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास और अनुसंधान करेगा और इस अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार बिजली की आपूर्ति करेगा ।

बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति मुख्य रूप से वितरण ट्रांसफार्मर के फेल होने, भार असंतुलन, डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति, राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा कमियों और डिस्कॉम के स्तर आदि के कारण होती है।

अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013 तक राष्ट्रीय स्तर पर व्यस्ततम विद्युत कमी 9% है।

राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉमों द्वारा अपनाए जाने वाले निष्पादन मानक भी अधिसूचित किए हैं जिसमें एक निष्पादन मानक के रूप में विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता भी शामिल है।

(घ) : केंद्र सरकार ने देश में उत्पादन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु कदम उठाए हैं। दिनांक 31.03.2013 तक विद्युत यूटिलिटीयों की अखिल भारतीय उत्पादन क्षमता 223343.60 मेगावाट है और 12वीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य 88537 मेगावाट है। विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में 02.05.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 5955 के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

देश की विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नांकित है:  
आर-एपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने और राज्य यूटिलिटियों के विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है। आर-एपीडीआरपी परियोजना क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने के संबंध में यूटिलिटियों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर केंद्रित है। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30000( विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10000) से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में शुरू की गई हैं। स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु आईटी समर्थित प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन, संवर्धन तथा सुदृढीकरण के लिए है।

अब तक, आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 33,832.17 करोड़ रूपए (भाग-क : 1401 नगरों तथा 65 नगरों में 65 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6713.08 करोड़ रूपये, भाग-ख 1134 नगरों में 27119.09 करोड़ रूपये) की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई):

भारत सरकार ने 5000 करोड़ रूपए की पूंजीगत सब्सिडी के साथ पांच वर्षों में देश में सभी घरों को बिजली की पहुँच उपलब्ध करवाने के लिए दिनांक 04 अप्रैल, 2005 को 10वीं योजना में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की थी। भारत सरकार ने 28,000 करोड़ रूपए की पूंजीगत सब्सिडी के साथ देश में सभी घरों को बिजली की पहुँच उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु 11वीं योजना में स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। इसके बाद, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रूपए की पूंजीगत सब्सिडी के साथ आरजीजीवीवाई के चरण-II को अनुमोदन प्रदान किया था।

अब तक देश में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 110886 गैर-विद्युतीकृत गांवों के संशोधित कवरेज में से 107083 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 342831 पहले से ही विद्युतीकृत गांवों के कवरेज में से आंशिक रूप से विद्युतीकृत 290137 का तीव्रीकरण और 2.29 करोड़ बीपीएल घरों के कवरेज में से 2.07 करोड़ बीपीएल घरों का विद्युतीकरण दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 8110.03 करोड़ रूपए की संशोधित परियोजना लागत से 1909 गैर-विद्युतीकृत गांवों, 53505 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों और 45.59 लाख बीपीएल घरों को शामिल करते हुए आरजीजीवीवाई के चरण-II के अंतर्गत 72 परियोजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

यूटिलिटियों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संस्थाओं(एफआई)/ बैंकों द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है। एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया

का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटीयों को प्रोत्साहित/हतोत्साहित करने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि सब्सिडी, स्वयं सतत प्रचालन के लिए ट्रांजिशन वित्तपोषण समर्थन सहित इक्विटी समर्थन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालनात्मक तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके, विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाया जा सके तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके ।

### विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घाविधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वतः संज्ञान पर ) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए" विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल" से अनुरोध किया है ।

विद्युत संबंधी अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/ डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा अंततः वितरण यूटिलिटीयों के लंबित देय राशि के बढ़ते जा रहे बकायों के निपटारे के लिए सहायता प्रदान करने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, तो टैरिफ का स्वतः निर्धारण, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला रिर्सोस गैप नहीं छोड़ा जाना है । विनियामक परिसंपत्तियाँ केवल असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त की जानी हैं ।

### मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश

राज्य विनियामक मंच तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का उल्लेख है । एफओआर(विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए माडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं । अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है । माडल टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाया जाना पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा यूटिलिटीयों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है ।

### राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घाविधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है । स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं ।

### राष्ट्रीय विद्युत निधि(ब्याज सब्सिडी स्कीम)

राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) में वितरण नेटवर्क को सुधारने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में राज्य विद्युत यूटिलिटीयों को 25,000 करोड़ रुपए तक के ऋण वितरण पर 8466 करोड़ रुपए तक की ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) के अंतर्गत, वितरण लाइसेंसी आर-एपीडीरपी और आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न किए गए कार्यों के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में सहायता का लाभ उठा सकता है।

एनईएफ स्कीम का उद्देश्य सेक्टर में अवसंरचना को सुधारने और सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए वितरण क्षेत्र में निवेश को सुग्राही बनाना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5956

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों हेतु प्रतिपूरक प्रशुल्क

†5956. डॉ. पी. वेणुगोपाल:

श्री सी. शिवासामी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) में विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत प्रतिपूरक प्रशुल्क के लिए याचिकाएं दायर की हैं;

(ख) क्या सीईआरसी में विद्युत संयंत्रों हेतु शीघ्र प्रतिपूरक प्रशुल्क देने की सिफारिश करने के लिए समिति गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित उत्पादक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कोयला मूल्य में वृद्धि तथा इंडोनेशिया सरकार के विनियम, जिसमें उस देश से कोयले के निर्यात के लिए दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति करार को अंतर्राष्ट्रीय कोयला मूल्य के साथ संरेखित किया जाना अपेक्षित है, के प्रभाव के लिए राहत हेतु केन्द्रीय आयोग से संपर्क किया है-

(i) अदानी पावर लिमिटेड

(ii) टाटा पावर लिमिटेड, अपनी सहयोगी कंपनी कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड के माध्यम से।

(iii) रिलायंस पावर लिमिटेड, अपनी सहयोगी कंपनी कोस्टल आंध्रा पावर लिमिटेड के माध्यम से।

(ख) और (ग)- अदानी पावर लिमिटेड तथा टाटा पावर लिमिटेड के मामले में, आयोग ने एक सदस्य की असहमति के नोट के साथ आदेश जारी करके उत्पादकों और राज्य वितरण कंपनियों/राज्य सरकारों को ऐसी समितियां गठित करने का निर्देश दिया है कि ऐसा क्षतिपूर्ति टैरिफ सुझाएं जो अंतर्राष्ट्रीय कोयला मूल्यों में

वृद्धि होने से आने वाली कठिनाई की अवधि के लिए पीपीए में सहमत टैरिफ से अधिक और उससे ऊपर स्वीकार किया जा सके।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5956 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

टाटा पावर लिमिटेड से संबंधित याचिका सं0 159/एमपी/2012 में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के निदेश:

"86 हमारे विचार में, वर्तमान मामले के तथ्यों की विशिष्टताओं तथा दोनों परियोजना विकासकर्ताओं और उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखते हुए हम यह उपयुक्त मानते हैं कि पक्षों को एक ऐसी परामर्शी प्रक्रिया निर्धारित करने का निदेश दें, जिससे इंडोनेशियाई विनियमों के कारण बेंच मार्क मूल्य पर कोयले के आयात की आवश्यकता से उत्पन्न हुई कठिनाई को कम करने के लिए पीपीए के अंतर्गत निर्णीत टैरिफ से अधिक और ऊपर क्षतिपूर्ति टैरिफ के रूप में एक स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके। तदनुसार, हम याचिकाकर्ता तथा प्रतिवादियों को निदेश देते हैं कि इस आदेश के जारी होने से एक सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करें, जिसमें खरीदकर्ता राज्यों के प्रमुख सचिव (विद्युत)/ वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों, टाटा पावर लिमिटेड के अध्यक्ष अथवा उनके नामिती, एक स्वतंत्र वित्तीय विश्लेषक तथा अवसंरचना क्षेत्र का काम-काज देखने वाला और प्रतिष्ठित जानकार प्रख्यात बैंकर शामिल हों। वित्तीय विश्लेषकों तथा बैंकर के नामितियों का चयन आपसी सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए। यह समिति इंडोनेशियाई कोयले की मूल्य वृद्धि से परियोजना की व्यवहार्यता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखेगी तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणित समस्त अपेक्षित वास्तविक आंकड़े प्राप्त करेगी, ताकि इंडोनेशिया से कोयले के आयात की लागत को निश्चित किया जा सके तथा समिति ऐसे पैकेज का सुझाव देगी जिसकी अनुमति याचिकाकर्ताओं को पीपीए में दिए टैरिफ से अधिक और ऊपर क्षतिपूर्ति टैरिफ के तौर पर दी जा सके। एक निश्चित अवधि तक लागू क्षतिपूर्ति टैरिफ की गणना करने और इसके लिए सिफारिश देते समय समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विचारणीय बिंदुओं को भी ध्यान में रखेगी।

(क) मुंद्रा यूएमपीपी को आपूर्ति किए जा रहे कोयले की मात्रा के सापेक्ष इंडोनेशियन विनियम के कारण बेंच मार्क मूल्य की वजह से याचिकाकर्ता की कंपनी द्वारा इंडोनेशिया की कोयला खदानों से अर्जित सरकारी कर तथा उपकर घटाकर शुद्ध लाभ को पूर्णतया विभाजित करते हुए इसे क्षतिपूर्ति टैरिफ में लाभभोक्ताओं को दिया जाना चाहिए।

(ख) मुंद्रा यूएमपीपी की लक्ष्य उपलब्धता से अधिक विद्युत की बिक्री के कारण राजस्व को तीसरे पक्ष से साझा किए जाने की संभावना तलाशी जाए।

(ग) उत्पादन स्टेशनों की प्रचालन दक्षता को प्रभावित किए बिना प्रतिवादियों को आपूर्ति हेतु विद्युत के उत्पादन के लिए निम्न कोयले के जीसीवी से उपयोग की संभावना।

87. समिति इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वह ऐसे कोई अन्य सुझाव दे, जोकि स्थिति से निपटने के लिए व्यावहारिक तथा वाणिज्यिक तौर पर तर्कसंगत हों। आयोग के विचारार्थ और आगे के निदेश दिए जाने हेतु समिति अपनी सिफारिशें 15 मई, 2013 तक सौंप देगी।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न संख्या-5958  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

5958. श्री जगदीश सिंह राणा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश की विद्युत इकाइयों/उप-इकाइयों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है;
- (ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में की गई वृद्धि का वर्ष-वार और इकाई-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार का विचार इन विद्युत इकाइयों की विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) - उत्तर प्रदेश सहित विद्युत उत्पादन यूनिटों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या अनुबंध-I में दी गई है। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) - पिछले तीन वर्षों में चालू की गई किसी भी यूनिट के क्षमता वृद्धि की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, 12वीं योजना के दौरान, जीवन विस्तार (एलई) कार्यों के लिए 70 यूनिटों (12,066 मेगावाट) और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यों के लिए 65 यूनिटों (17,301 मेगावाट) को चिह्नित किया गया है। जिनमें से, 12वीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में जीवन विस्तार कार्यों के लिए 7 यूनिटों (1,130 मेगावाट) और नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 6 यूनिटों (1,730 मेगावाट) को चिह्नित किया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न सं0 5958 भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

31.03.2013 के अनुसार राज्य/यूटिलिटी-वार विद्युत उत्पादक इकाईयां

राज्य	इकाईयों की संख्या
अंदमान निकोबार द्वीपसमूह	42
आंध्र प्रदेश	129
अरुणाचल प्रदेश	4
असम	39
बिहार	16
छत्तीसगढ़ केंद्रीय क्षेत्र	42
दिल्ली	26
गोवा	1
गुजरात	137
हरियाणा	26
हिमाचल प्रदेश	68
जम्मू एवं कश्मीर	40
झारखंड	31
कर्नाटक	99
केरल	75
लक्षद्वीप	11
मध्य प्रदेश	71
महाराष्ट्र	121
मणिपुर	45
मेघालय	19
मिजोरम	90
नागालैंड	8
ओडिशा	50
पांडिचेरी	2
पंजाब	46
राजस्थान	56
सिक्किम	8
तमिलनाडु	149
त्रिपुरा	26
उत्तर प्रदेश	98
उत्तराखंड	53
पश्चिम बंगाल	105
कुल	1733

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5958 भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2010-11 के दौरान चालू परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता ( मेगावाट)
1	सिम्हाद्री- एक्सटें. यू-3	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500
2	कोनासीमा एसटी	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस/लिग्नाइट	165
3	कोंड आंध्र प्रदेश आली सीसीपीपी फेज II एसटी	आंध्र प्रदेश	निजी	गैस/लिग्नाइट	133
4	जुराला प्रिया यू 4,5	आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	78
5	काकतीया टीपीपी	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	500
6	रायलसीमा एसटी -III, यू5	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	210
7	कोरबाIII यू -7	छत्तीसगढ़	केंद्रीय	कोयला	500
8	रिठाला सीसीपीपी जीटी	दिल्ली	निजी	गैस/लिग्नाइट	71.5
9	प्रगति -III ( बवाना) जीटी-1,2	दिल्ली	राज्य	गैस/लिग्नाइट	500
10	मुंद्रा टीपीपी फेज-I, यू 3,4	गुजरात	निजी	कोयला	660
11	मुंद्रा टीपीपी फेज-II, यू 1	गुजरात	निजी	कोयला	660
12	सुरत लिग्नाइट एक्सटें यू 3,4	गुजरात	राज्य	लिग्नाइट	250
13	इंदिरा गांधी टीपीपी( झज्जर) जेवी यू1	हरियाणा	केंद्रीय	कोयला	500
14	राजस्थान IV गांधी टीपीएस(हिस्सार) यू-2	हरियाणा	राज्य	कोयला	600
15	अलियान दुहांगन	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	192
16	सेवा-II यू1,2,3	जम्मू एवं कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	120
17	कैगा यू-4	कर्नाटक	केंद्रीय	न्यूक्लियर	220
18	यूडी उत्तर प्रदेश I टीपीपी ( लैंको नागार्जुन) यू 1	कर्नाटक	निजी	कोयला	600
19	रायचूर यू 8	कर्नाटक	राज्य	कोयला	250
20	कुटीयाडी एडीशनल एक्सटें यू1,2	केरल	राज्य	हाइड्रो	100
21	जेएसडब्ल्यू इनर्जी, रत्नागिरी U1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	600
22	टीपीएस वरोरा यू1-3	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	405
23	स्टर्लाइट टीपीपी यू 2,1	ओडिशा	निजी	कोयला	1200
24	बरसिंगसर लिग्.यू1,2	राजस्थान	केंद्रीय	लिग्नाइट	250
25	जलीपा लिग यूU2	राजस्थान	निजी	लिग्नाइट	135
26	छाबरा टीपीएस यू-2	राजस्थान	राज्य	कोयला	250
27	बारामुरा जीटी	त्रिपुरा	राज्य	गैस/लिग्नाइट	21
28	कोटेश्वर यू 1,2	उत्तराखंड	केंद्रीय	हाइड्रो	200
29	दादरी एक्सटें यू-6	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	490
30	रोजा एसटी -I यू2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	300
31	फरक्का सटेज-III यू-6	प. बंगाल	केंद्रीय	कोयला	500
32	मेजिया फेज II यू 7,8	प. बंगाल	केंद्रीय	कोयला	1000
	कुल				12160.5

2011-2012 के दौरान चालू परियोजना की सूची

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता ( मेगावाट)
1	सिम्हाद्री टीपीपी यू4	आंध्र प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500
2	सिम्हापुरी इनर्जी प्रा. लि. यू 1	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
3	जुराला प्रिया यू 6	आंध्र प्रदेश	राज्य	हाइड्रो	39
4	कोथागुडेम एसटी -VI	आंध्र प्रदेश	राज्य	कोयला	500
5	लाकवा डब्ल्यूएच	असम	राज्य	गैस	37.2
6	सिपत-I यू1,2	छत्तीसगढ़	केंद्रीय	कोयला	1320
7	कसाईपल्ली टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135
8	एस.वी. पावर टीपीपी	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	63
9	काटघोड़ा टीपीपी यू1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	35
10	रीठालाएसटी	दिल्ली	निजी	गैस	36.5
11	प्रगति III ( बवाना) जीटी-3	दिल्ली	राज्य	गैस/लिग्नाइट	250
12	मुंद्रा टीपीपी फेज-II यू 2	गुजरात	निजी	कोयला	660
13	अल्ट्रा मेगा मुंद्रा यू 1	गुजरात	निजी	कोयला	800
14	सलाया टीपीपी यू 1	गुजरात	निजी	कोयला	600
15	जीएसईजी हजीरा एक्सटें	गुजरात	राज्य	गैस/लिग्नाइट	351
16	मुंद्रा टीपीपी-III यू1-3	गुजरात	निजी	कोयला	1980
17	इंदिरा गांधी टीपीपी ( झज्जजर) जेवी यू2	हरियाणा	केंद्रीय	कोयला	500
18	महात्मा गांधी( झज्जजर)टीपीपी यू1	हरियाणा	निजी	कोयला	660
19	मलाना II यू1,2	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	100
20	करचम वागटू यू 1-4	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	1000
21	कोडरमा यू1	झारखंड	केंद्रीय	कोयला	500
22	मैथन आरबीसी जेवी यू 1,2	झारखंड	निजी	कोयला	1050
23	उडपी टीपीपी( लैंको नागार्जुन) यू2	कर्नाटक	निजी	कोयला	600
24	बेल्लारी टीपीपी यू2	कर्नाटक	राज्य	कोयला	500
25	जेएसडब्ल्यू इनर्जी रत्नागिरी यू3- 4	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	600
26	टीपीएस बरोरा यू4	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	135
27	मिहान टीपीपी	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	246
28	खापड़खेड़ा एक्सटें	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	500
29	भूसावल टीपीपी यू4,5	महाराष्ट्र	राज्य	कोयला	1000
30	मिंटू स्टे-I यू1,2	मेघालय	राज्य	हाइड्रो	84
31	स्टर्लाइट टीपीपी यू3	ओडिशा	निजी	कोयला	600
32	जलीपा लिग्नाइट यू 3,4	राजस्थान	निजी	लिग्नाइट	270
33	वल्लूर टीपीपी फेज-1 यू1	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500
34	नेवेली - II लिग्. यू1	तमिलनाडु	केंद्रीय	लिग्नाइट	250
35	कोटेश्वर यू3,4	उत्तराखंड	केंद्रीय	हाइड्रो	200
36	खाम्बाखेड़ा यू 1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
37	मकसूवपूर यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
38	बरखेड़ा टीपीपी यू 1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
39	कुंडारकी टीपीपी यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
40	उत्तरला टीपीपी यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	90
41	अनपारी- सी यू1,2	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	1200
42	रोजा टीपीपी फेज-II यू3,4	उत्तर प्रदेश	निजी	कोयला	600
43	हरदुआगंज एक्सटें यू8	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	250
44	दुर्गापुर स्टील यू1,2	प. बंगाल	केंद्रीय	कोयला	1000
45	संथालडीह एक्सटें-यू 6	प. बंगाल	राज्य	कोयला	250

## 2012-2013 के दौरान चालू परियोजना की सूची

क्रम सं.	संयंत्र का नाम	राज्य	क्षेत्र	ईंधन प्रकार	क्षमता (मेगावाट)
1	सिम्हापुरी टीपीपी फेज-1 यू2	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
2	थम्मीनापटनम टीपीपी यू 1	आंध्र प्रदेश	निजी	कोयला	150
3	कसाईपल्ली टीपीएस यू 2	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	135
4	कोरबा वेस्ट	छत्तीसगढ़	राज्य	कोयला	500
5	रतीजा टीपीपी यू-1	छत्तीसगढ़	निजी	कोयला	50
6	सिपत स्टे। एसटीपीपी यू 3	छत्तीसगढ़	केंद्रीय	कोयला	660
7	प्रगति III जीटी-3	दिल्ली	राज्य	गैस	250
8	पीपावाव सीसीपीपी	गुजरात	राज्य	गैस	351
9	सलाया टीपीएस यू 2	गुजरात	निजी	कोयला	600
10	उकाई टीपीपी एक्सटें यू-6	गुजरात	राज्य	कोयला	500
11	यूएमपीपी मुंद्रा यू 2,3,4,5	गुजरात	निजी	कोयला	3200
12	यूनोसुजेन सीसीपीपी मॉड्यूल 1	गुजरात	निजी	गैस	382.5
13	इंदिरा गांधी (झज्जर) एसटीपीपी यू3	हरियाणा	केंद्रीय	कोयला	500
14	महात्मा गांधी टीपीपी यू2	हरियाणा	निजी	कोयला	660
15	बुधिल यू-1,2	हिमाचल प्रदेश	निजी	हाइड्रो	70
16	चमेरा III यू 1,2,3	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	हाइड्रो	231
17	चुटक एचईपी यू 1,2,3,4	जम्मू व कश्मीर	केंद्रीय	हाइड्रो	44
18	आधुनिक पावर टीपीपीU1,2	झारखंड	निजी	कोयला	540
19	कोडरमा टीपीपी यू 2	झारखंड	केंद्रीय	कोयला	500
20	अमरावती टीपीपी फेज 1 यू1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270
21	बेला टीपीपी -1 यू -1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	270
22	बूटीबोरी टीपीपी यू-1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300
23	एमको वरोरा टीपीपी यू1	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	300
24	जीईपीएल टीपीपी फेज -1, यू 1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	120
25	मौदा टीपीपी यू1,2	महाराष्ट्र	केंद्रीय	कोयला	1000
26	तीरोरा टीपीपी फेज I यू.1,2	महाराष्ट्र	निजी	कोयला	1320
27	मिंटडू यू3	मेघालय	राज्य	हाइड्रो	42
28	बीना टीपीपी यू1,2	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	500
29	महान टीपीपी यू 1	मध्य प्रदेश	निजी	कोयला	600
30	सतपुरा टीपीएस एक्सटें यू.10	मध्य प्रदेश	राज्य	कोयला	250
31	विंध्याचल एसटीपीएस IV यू.11,12	मध्य प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	1000
32	स्टर्लाइट(झारसुगुडा) टीपीपी यू.4	ओडिशा	निजी	कोयला	600
33	कमलंगा टीपीपी यू.1	ओडिशा	निजी	कोयला	350
34	जलीपा कपूर्डी यू 5,6,7,8	राजस्थान	निजी	लिग्नाइट	540
35	रामगढ़ जीटी	राजस्थान	राज्य	गैस	110
36	भवानी कटलाई बैराज. III यू.1	तमिलनाडु	राज्य	हाइड्रो	15
37	इंड बराथ तूतीकोरीन यू-1	तमिलनाडु	निजी	कोयला	150
38	मेट्टूर टीपीपी एक्सटें यू 1	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600
39	नोर्थ चेन्नई एक्सटें यू 2	तमिलनाडु	राज्य	कोयला	600
40	वल्लूर टीपीपी फेज I यू 2	तमिलनाडु	केंद्रीय	कोयला	500
41	त्रिपुरा सीसीजीटी	त्रिपुरा	केंद्रीय	कोयला	363.3
42	हरदुआंगंज टीपीपी एक्सटें यू.9	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	250
43	परीछा एक्सटें यू.5,6	उत्तर प्रदेश	राज्य	कोयला	500
44	रिहंद एसटीपीपी स्टे. III यू 5	उत्तर प्रदेश	केंद्रीय	कोयला	500

45	तीस्ता लो डैम-III यू 1,2,3	प. बंगाल	केंद्रीय	हाइड्रो	99
	कुल				20622.8

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5960

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

भूटान में जल विद्युत परियोजनाएं

5960. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारत सरकार की सहायता से भूटान में चलाई जा रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनकी संस्थापित क्षमता, इनसे वास्तव में उत्पादित की जा रही विद्युत तथा लंबित विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने की स्थिति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इनसे उत्पादित विद्युत की पावरग्रिडों को पारेषण लाइनों से जोड़कर भारत में आपूर्ति किए जाने का विचार है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रस्तावित पारेषण लाइन की क्षमता क्या है; और
- (घ) लंबित विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भारत और भूटान के मध्य द्विपक्षीय सहयोग के तहत, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में छः (6) जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें से, तीन जल-विद्युत परियोजनाओं को पहले ही चालू किया जा चुका है और तीन जल विद्युत परियोजनाएं निष्पादनाधीन हैं। इन परियोजनाओं का निष्पादन **अनुबंध** पर है।

(ख) और (ग)- इन परियोजनाओं से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत भारत को निर्यात की जाती है/जाएगी। पुनातसांगछू-1 एचईपी से विद्युत की निकासी 400 केवी लाइनों के माध्यम से अलीपुरद्वार(भारत के पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित) के पूर्लिंग प्वाइंट तक किए जाने का प्रस्ताव है। अलीपुरद्वार में एक +800 केवी, 3000 मेगावाट एच वी डी सी टर्मिनल की आयोजना की गई है, जिसे +800 के.वी. 6000 मे.वा एच वी डी सी बाइपोल लाइन से एकीकृत किया जाएगा जिसका निर्माण उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण को आगे जारी रखने के लिए बिश्वनाथ चारियाली (पूर्वोत्तर क्षेत्र) और आगरा (उत्तरी क्षेत्र) के मध्य किया जा रहा है। पुनातसांगछू-1 एचईपी से ल्हामोयजिंगखा (भूटान सीमा) तक पारेषण लाइन भूटान

पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जबकि भारत के भीतर का शेष भाग पीजीसीआईएल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

(घ)- तीन निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावित तारीखें अनुबंध के अनुसार हैं-

लोक सभा में दिनांक 2.5.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं0 5960 के भाग (क) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध।

भूटान में भारत सरकार का सहयोग प्राप्त जल विद्युत परियोजनाएं

क. चालू परियोजनाएं-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)
1.	चुखा एचईपी	336
2.	कुरीच्छु एचईपी	60
3.	ताला एचईपी	1020

ख. निर्माणाधीन परियोजनाएं-

क्रम सं.	परियोजना	संस्थापित क्षमता	परियोजना के पूरा होने का संभावित वर्ष
1.	पुनातसंगछू-1	1200 मेवा	नवम्बर, 2016
2.	पुनातसंगछू-2	1020 मेवा	दिसंबर, 2017
3.	मांगदेछू	720 मेवा	सितंबर, 2017

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-5966  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

†5966. श्री आर. थामराई सेलवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यदि सरकार प्राकृतिक गैस की कीमतों में दोगुनी वृद्धि करती है तो स्थापित किए जाने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्र दिवालिया हो सकते हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या गैस की कीमतों में वृद्धि होने से गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की लागत में प्रतिवर्ष 46,000 करोड़ रु. की वृद्धि होगी; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख)- गैस की कीमतों के दोगुने होने से वर्तमान/नए शुरू होने वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आज की तारीख तक बहुत से वर्तमान गैस आधारित विद्युत संयंत्र घरेलू गैस की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण न्यून संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) पर प्रचालनरत हैं। वर्तमान में घरेलू गैस की कीमतें 4.2 डालर/एमबीटीयू से 5.33 डालर/एमबीटीयू तक अलग-अलग हैं जिससे घरेलू गैस का सुपर्दगी मूल्य लगभग 7 डालर/एमबीटीयू तक बढ़ गया है/ अनुमान है कि यदि घरेलू गैस की कीमत दोगुनी की जाती है तो विद्युत की युनिट लागत में वृद्धि होगी जिससे गैस आधारित उत्पादन का गुणवत्तापरक आदेश भेजने पर प्रभाव पड़ेगा। इससे गैस आधारित संयंत्रों का प्रचालन अव्यवहार्य स्तरों पर होने की संभावना है।

(ग) और (घ)- इस संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, यह महसूस किया गया है कि गैस के अधिक मूल्य से गैस आधारित विकृत उत्पादन के लिए लागत में वृद्धि होगी। वर्ष 2012-13 के दौरान गैस आधारित विकृत संयंत्रों से उत्पादन के आधार पर लागत में लगभग 19, 400 करोड़ रुपये (तकरीबन) तक की वृद्धि होने की संभावना है। तथापि, वृद्धि की मात्रा उपलब्ध गैस की मात्रा पर निर्भर करते हुए गैस आधारित विद्युत संयंत्र की क्षमता और वह संयंत्र भार घटक जिस पर गैस आधारित संयंत्र प्रचालनरत है, पर भी निर्भर करती है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा  
अतारंकित प्रश्न संख्या-5973  
जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत लागत में कमी

†5973. श्री एंटो एंटोनी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राजीव गांधी कंबाइंड साइकल पावर प्रोजेक्ट (आरजीसीसीपीपी) स्कीम के अंतर्गत राज्य को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एनटीपीसी) के कयुमकुलम संयंत्र से आपूर्ति की जाने वाली विद्युत की लागत घटाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : केरल सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के एनटीपीसी केंद्रों से सस्ती विद्युत के आबंटन का अनुरोध किया है ताकि, एनटीपीसी के कायमकुलम संयंत्र से राज्य को की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की कुल लागत कम हो सके। वर्तमान में एनटीपीसी के तालचेर-II से 180 मेगावाट विद्युत पहले ही आबंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, केरल को पहले ही इंदिरा गांधी सुपर ताप विद्युत केंद्र, झज्जर (एनटीपीसी, हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम) से 90 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। अन्य दक्षिणी राज्यों द्वारा झेली गई विद्युत कमियों के परिप्रेक्ष्य में और आबंटन किए जाने के केरल के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5975

जिसका उत्तर 02 मई, 2013 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाएं

5975. श्री दत्ता मेघे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के बाद, ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने

के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए

नई ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के प्रस्ताव सीईए में प्राप्त नहीं किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जल

विद्युत परियोजनाओं की कोई भी विस्तृत परियोजना रिपोर्टें सीईए में जांच के लिए लंबित नहीं हैं।

\*\*\*\*\*